उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–9

सं0 607/2011/XXVII(9)/स्टाम्प-42 /2008 दिनांकः देहरादून ः सितम्बर् 28, 2011

अधिसूचना

चूंकि स्टाम्पों की आपूर्ति एवं विक्रय की वर्तमान प्रणाली में कठिनाइयों एवं किमयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नकली एवं जाली स्टाम्पों के प्रयोग से सरकारी राजस्व की क्षिति के पक्षों पर विचार करने के पश्चात निम्नलिखित उद्देश्यों:--

(क) कागज के प्रयोग तथा कपटपूर्ण क्रियाकलापों को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं पर रोक लगाना;

(ख) उपभोक्ताओं के साथ मैत्रीपूर्ण, सुरक्षित एवं विश्वसनीय स्टाम्प शुल्क-संग्रह-तकनीक की स्थापना करना; तथा

(ग) सुरक्षित इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना—संग्रह को सुनिश्चित करना और सरल सत्यापन को सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय ऑकड़ों की स्थापना करना, तथा प्रबन्धन—सूचना—प्रणाली एवं निर्णय— समर्थन—प्रणाली के सूचनाओं को जनित करना,

की प्राप्ति हेतु राज्य में न्यायिकेतर स्टाम्प की आपूर्ति एवं विक्रय के लिए कम्प्यूटरीकृत स्टाम्प

शुल्क-प्रशासन- प्रणाली का क्रियान्वयन करने हेतु विनिश्चय किया है-

अतएव, अब, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 की उप धारा (28) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 74 एवं 75 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के निर्गम द्वारा स्टाम्प शुक्क के संदाय को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली 2011

	भाग—1—प्रारम्भिक
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश स्टाम्प (ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 है। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाऍ	2. (1)जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :
	(क)" अधिनियम " से समय समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या—2 वर्ष 1899) अभिप्रेत है;
	(ख)'' अनुबन्ध ' से नियुक्ति प्राधिकारी एवं केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के मध्य निष्पादित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण—अभिकरण की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों का उपवर्णन कर
	वाले अनुबन्ध—पत्र अभिप्रेत हैं। (ग) "नियुक्ति—प्राधिकारी" से सरकार अथवा गजट में अधिसूचना द्वार इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जो स्टाम आयुक्त की श्रेणी से निम्न स्तर का न हो, अभिप्रेत है;
	(घ) "अनुमोदित मध्यवर्तियों" से केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरा एवं वह संग्रह केन्द्र अभिप्रेत हैं जिनके अन्तर्गत इस नियमावली व अधीन, स्टाम्प शुल्क के संग्रह के लिए सरकार तथा स्टाम्प शुल्क—दाद के मध्य, मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतु राज्य सरकार के पृ अनमोदन से यथा नियक्त उसके समस्त कार्यालय एवं शाखाएं भी हैं;
	(ड.) "प्राधिकृत संग्रह—केन्द्र" से ऐसा अभिकर्ता अभिप्रेत होगा जि शुल्क के संग्रह के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं स्टार शुल्क दाता के मध्य मध्यवती के रूप में कार्य करने हेतु सरकार के पृ अनुमोदन से केन्द्रीय अभिलेख—अनुरक्षण—अभिकरण द्वारा नियुक्त किन् गया हो; (च) "केन्द्रीय अभिलेख—अनुरक्षण—अभिकरण" से ऐसा अभिकर

,	2
	अभिप्रेत होगा जिसे राज्य में अथवा राज्य के ऐसे स्थानों में, जैस
	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर अवधारित किया ज
	स्टाम्पशुल्क-प्रशासन- प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए नियु
	प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो;
	(छ) ''स्टाम्पआंयुक्त'' से महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड अभिप्रेत है
	स्टाम्प आयुक्त के कृत्यों का सम्पादन कर रहा हो।
	(ज) ''विभाग'' से स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
	(झ) " ई—स्टाम्प " से स्टाम्पशुल्क की देयता का अंकन करने के
	कागज पर इलेक्ट्रानिक रूप से जनित चिन्ह अभिप्रेत है;
	(স) ''प्रपन्न'' से इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;
	(ट) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
	(ठ) " समस्या—निवारण—अधिकारी " से विभाग के ऐसे अधिकारी अभिप्रेत
	जो स्टाम्प आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक स्टाम्प आयुक्त की श्रेणी
	निम्न स्तर का न हो;
	(ड) "स्टाम्प—शुल्क" से अधिनियम की अनुसूची के अधीन देय न्यायिव
	स्टाम्प-शुल्क अभिप्रेत है।
	(ढ़) कोषागार— "कोषागार" से राज्य का कोई कोषागार अभिप्रेत है त
	जिसमें उप कोषागार भी सम्मिलत हैं।
	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों एवं पदों का वही अर्थ होगा,
	उत्तरप्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशो
	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम सं0 2 वर्ष 1899) र
	निबन्धन अधिनियम् १००० (अधिनियम् संक्रम् ४० सन् ४०००) र
	निबन्धन अधिनियम—1908 (अधिनियम संख्या—16 सन् 1908) में उ लिए क्रमशः समनुदेशित है।
	लिए अगराः सम्मुद्रारात है।
	भाग-2-केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण
केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण	3. कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था, भारतीय अनुसूचित बैंक, निक्षेपागार सेव
अभिकरण की नियुक्ति के	को उपलब्ध कराने में संलग्न कोई निगमित संस्था अथवा कोई निग
लिए पात्रता मानदण्ड	निकाय, जहाँ ऊपर उल्लिखित संस्थाओं / निकायों में से किसी के भी ह
	व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से न्यूनतम 51 प्रतिशत साधारण पूँजी धा
	की जाती है, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्ति
	लिए अर्ह होगें।
केन्द्रीय अमिलेख-	4. नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य के विनिर्दिष्ट स्थानों में जैसा कि उसके इ
अनुरक्षण— अभिकरण की	समय-समय पर घोषित किया जाय, स्टाम्प शुल्क-प्रशासन-प्रणाली
नियुक्ति	कम्प्यूटरीकरण के क्रियान्वयन हेतु राज्य के लिए केन्द्रीय अभिलेर
3	अनुरुषा अभिक्रमा के क्या में कार्य केन केन किए किन्द्रीय अभिक्ष
	अनुरक्षण—अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु निम्नलिखित वरीयता क्रम निम्नोल्लिखित प्रत्युपायों में से किसी को भी अंगीकार करके संविदा
	आधार पर एक समुचित अभिकरण का चयन एवं नियुक्ति करेगी—
	कि केन्द्रीय अभिनेत्व अपन्याम अभिनेत्व कर्गा—
	(क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति से सम्बन्धि
	समय—समय पर निर्गत केन्द्रीय सरकार की संस्तुतियाँ, यदि कोई हों, आधार पर
	(ख) यथा–विधि गठित विशेषज्ञ—चयन—समिति के माध्यम से तकनीकी
And A wash	वाणिज्यिक नीलामी में बोली को आमन्त्रित करके।
INTELLIGIT ON ALCHE	
ानयुक्ति का अवाध	5. इस नियमावली के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिक
	की अवधि 5 वर्ष हागी।
''अनुबन्ध'' और ''दायित्व	की अवधि 5 वर्ष हागी। 6. (1) नियम 4 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिक
नियुक्ति की अवधि "अनुबन्ध" और "दायित्व एवं क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का	की अवधि 5 वर्ष हागी। 6. (1) नियम 4 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकानियुक्ति प्राधिकारी के साथ प्रपत्र—1 में अनुबन्ध करेगा।
"अनुबन्ध" और "दायित्व एवं क्षतिपूर्ति बन्ध—पत्र का निष्पादन केन्द्रीय अभिलेख	की अवधि 5 वर्ष हागी। 6. (1) नियम 4 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकानियुक्ति प्राधिकारी के साथ प्रपत्र—1 में अनुबन्ध करेगा। (2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण उप नियम (1) में निर्दि
''अनुबन्ध'' और ''दायित्व एवं क्षतिपूर्ति बन्ध—पत्र का	की अवधि 5 वर्ष हागी। 6. (1) नियम 4 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकानियुक्ति प्राधिकारी के साथ प्रपत्र—1 में अनुबन्ध करेगा।

केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण	7. (1) नियम—5 के उपबन्धों के होते हुए भी केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
अभिकरण की नियुक्ति की	अभिकरण की नियुक्ति किसी बाध्यता के भंग, वित्तीय अनियमितता
समाप्ति	अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर पहले भी समाप्त की
	जा सकती है;
	(2) तथापि, नियुक्ति को समाप्त करने का निर्णय केवल—
	(क) उपनियम (1) के अधीन आधारों के विवरणों को विनिर्दिष्ट करने
	वाली तीन माह की कारण बताओं नोटिस केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
	अभिकरण को दिये जाने के पश्चात्, और,
	(ख) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को सुनवाई का युक्ति—युक्त
	अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात्, और,
	(ग) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण के
	सन्तोष–जनक न पाये जाने के पश्चात्, अथवा,
	(घ) बाध्यता के भंग की स्थिति में, यदि केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
	अभिकरण कारण बताओ नोटिस के दिनांक से तीन माह की अवधि में
	भंग को अपास्त करने में विफल रहता है; लिया जायेगा।
	(3) यदि आधार, जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी ने नियुक्ति को समाप्त
	करने का निर्णय लिया है, ऐसा है जिससे राज्य को राजस्व की क्षति भी
	हुई है, तो केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अर्थ—दण्ड की वह
	धनराशि जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा आरोपित की जाए, के अतिरिक्त
	राजस्व—क्षति की सम्पूर्ण धनराशि का संदाय करने के लिए बाध्य होगा;
	(४) ज्यानियम (३) के अलीन अर्थ का सदीय करने के लिए बाह्य होगी;
	(4) उपनियम (3) के अधीन अर्थ—दण्ड की धनराशि जो आरोपित की जा
	सकती है, वह राजस्व की क्षति की धनराशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी;
	(5) उपनियम (3) के अधीन प्रतिकर एवं अर्थ-दण्ड की धनराशि नियत
	करने के पूर्व केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को
	नियुक्ति—प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति—युक्त अवसर प्रदान किया
नियुक्ति का नवीनीकरण	जायेगा।
ानुवादरा का नवानाकरण	8. (1) केन्द्रीय अभिलेख—अनुरक्षण—अभिकरण की नियुक्ति के नवीनीकरण
	के लिए आवेदन, नियुक्ति की चालू अवधि की समाप्ति के, कम से कम
	तीन माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को दिया जायेगा;
	(2) नियुक्ति प्राधिकारी, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति
	के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के पूर्व विभाग अथवा
	केन्द्रीय—अभिलेख— अनुरक्षण अभिकरण अथवा प्राधिकृत संग्रह—केन्द्रों
	अथवा किसी अन्य व्यक्ति या निकाय से कोई सूचना अथवा अभिलेख
	मंगा सकता है;
	(3) नवीनीकरण की उपयुक्तता के विषय में सन्तुष्ट होने पर,
	नियुक्ति—प्राधिकारी नियुक्ति की अवधि का नवीनीकरण करेगा;
	(4) यदि, नियुक्ति-प्राधिकारी, नियुक्ति का नवीनीकरण करने के लिए
	निश्चय करता है, तो नियम 6(1) में निर्दिष्ट एक नव—अनुबन्ध तथा
	नियम 6(3) में निर्दिष्ट "दायित्व एवं क्षति-पूर्ति-बन्ध-पत्र" उपयुक्त
	संशोधनों सहित यदि कोई हों निष्पादित किया जायेगा;
	(5) नियुक्ति–प्राधिकारी, लिखित रूप में ऐसे कारणों जो लिखित रूप में
	अभिलिखित किये जायेगें, नियुक्ति की अवधि के नवीनीकरण करने से
	इनकार करने के लिए अधिकृत होगा।
1001	भाग-3-केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण-अभिकरण के कर्तव्य
केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण	9. केन्द्रीय अभिलेख—अनुरक्षण—अभिकरण,
अभिकरण के कर्तव्य	(क) सरकार के परामर्श से अभिहित स्थानों में आवश्यकता के अनुसार
	अवस्थापन हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के निर्माण एवं मेन सर्वर से इसका
	संयोजन करने के लिए;
	(ख) राज्य के अन्दर अथवा राज्य के ऐसे स्थानों में, जैसा कि नियुक्ति

प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, उपनिबन्धकों, सहायक स्टाम्प आयुक्तों, स्टाम्प आयुक्त के कार्यालयों एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों (स्टाम्प शुल्क की अदायगी के लिए सम्पर्क स्थल) में आवश्यकता के अनुसार साफ्टवेयर के निर्माण के लिए; (ग) विभाग के चिन्हित जनशक्ति / कर्मी के प्रशिक्षण के लिए; (घ) स्टाम्प शूल्क हेतू प्राधिकृत संग्रह-केन्द्रों के चयन में स्विधा प्रदान करने की भूमिका के लिए; (ड.) प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों (बैंको आदि) के केन्द्रीय सर्वर तथा उपनिबन्धक, सहायक स्टाम्प आयुक्त व स्टाम्प आयुक्त के कार्यालयों के मध्य समन्वयक की भूमिका के लिए; (च) इस नियमावली के अनुसार स्टाम्प शुल्क के संग्रह एवं इसे राज्य के लेखा में प्रेषण के लिए; (छ) इस नियमावली के अधीन तथा समय-समय पर नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा यथा-अपेक्षित, विभिन्न आख्याओं को तैयार एवं प्रदान करने के लिए: उत्तरदायी होगा। 10. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अनुमोदित मध्यवर्तियों द्वारा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण संग्रहीत स्टाम्प शुल्क की धनराशि पर बट्टा के ऐसे सहमत प्रतिशत अभिकरण को अनुमन्य के लिए अधिकृत होगा, जैसा कि अनुबन्ध की शर्तों द्वारा विनिश्चित बट्टा किया जाए। 11. (1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को ऐसे साफ्टवेयर का प्रयोग केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण करना पड़ेगा, जिससे कि ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित अभिकरण द्वारा प्रयुक्त न्यूनतम विवरण प्रदर्शित हों:-प्रक्रिया-सामग्री (साफ्टवेयर) की विशिष्टता (क) प्रमाण–पत्र का विशिष्ट, विलक्षण, पहचान–संख्या, जिससे कि ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के अस्तित्व पर्यन्त किसी अन्य प्रमाण-पत्र में उसकी पुनरावृत्ति न हो सके; (ख) निर्गम की तिथि एवं समय; (ग) शब्दों एवं अंकों में प्रमाण-पत्र के माध्यम से प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि: (घ) ई-स्टाम्प के क्रेता का नाम; (ड.) लिखत के पक्षकारों का नाम; (च) लिखत, जिस पर स्टाम्प शूल्क का संदाय किया जाना आशयित है, का विवरण. (छ) सम्पत्ति, (यदि कोई हो) जो लिखत की विषय-वस्तु है, का विवरण, (ज) अनुमोदित मध्यवर्ती के निर्गम-शाखा की कोड, अवस्थिति एवं जनपद. (झ) प्रमाण-पत्र का कोई अन्य विशिष्ट प्रतीक, उदाहरणार्थ-बारकोड आदि (यदि कोई हो), (ञ) अनुमोदित मध्यवर्ती के निर्गम— अधिकारी /अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं महर के लिए स्थान, (2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्रक्रिया-सामग्री (साफटवेयर) में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी:--(क) उपनिबन्धक को उसके द्वारा निबन्धन के लिए स्वीकृत लिखत में प्रयुक्त ई-स्टाम्प-प्रमाण-पत्र को लॉक करने की सुविधा के लिए, (ख) प्रयोग के लिए खराब, अप्रयुक्त, ई-स्टाम्प-प्रमाण-पत्र को निरस्त करने की सुविधा के लिए, (ग) किसी ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का तलाश करने, उससे अभिगम स्थापित करने एवं उसका अवलोकन करने और प्रबन्धन-सूचना-प्रणाली एवं निर्णय-समर्थन-प्रणाली पर अभिगम स्थापित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण,

	3
	सम्बन्धित अधिकारियों को इन पासवर्ड्स एवं कोड्स को प्रदान करेगा। (घ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-स्टाम्पिंग-सर्वर पर निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के विवरणों की उपलब्धता के लिए, (ड.) ई-स्टाम्पिंग, जैसा कि नियम 57 में उल्लिखित है, से सम्बन्धित विभिन्न संव्यवहार के विवरणों एवं सूचनाओं की केन्द्रीय अभिलेख
	अनुरक्षण अभिकरण की वेबसाइट पर उपलब्धता के लिए जो उप निराम
	(2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगी।
	भाग—4—प्राधिकत संग्रह केन्द्र
प्राधिकृत संग्रह-केन्द्र की	12. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्टाम्प
नियुक्ति	शुल्क के संग्रह के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं स्टाम्प शुल्कदाता के मध्य मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेत अभिकर्ताओं जो उस
	ागवनावला न प्राधिकृत संगृह केन्द्र कहे गये हैं की निराक्ति कर सकता है।
प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड	अनुस्चित बैंक, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम और डाकघर अथवा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अधिकृत कोई अभिकरण जो राज्य सरकार की सहमति से नियुक्त हो। प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियक्ति के लिए एक नोगं।
केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण	14. राज्य के विनिर्दिष्ट स्थानों, जैसा कि नियुक्ति—प्राधिकारी द्वारा समय—समय
अभिकरण की शाखाएं भी	
स्टाम्प शुल्क का संग्रह	
करेगी	
	स्टाम्प शुल्क की धनराशि के संग्रह के लिए हकदार होगी, जिसके लिए
अवस्थापन	नियम 12 के अन्तर्गत सरकार से पृथक् अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी।
जपरवायग	15. समस्त ऐसे अनुमोदित मध्यवर्ती. अपेक्षित कम्प्यूटर्स प्रिन्टर्स, इन्टरनेट-संयोजन
	और अन्य सम्बन्धित अवस्थापन जो, ई–स्टाम्पिंग प्रणाली, जैसा कि
	समय-समय पर केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया
अवस्थापना की लागत	जाय, को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, से सुसज्जित होंगे।
जनस्माना का लाग्रा	16. नियम 15 के अन्तर्गत उल्लिखित उपकरण एवं अवस्थापन को उपलब्ध कराये
	जाने की लागत का वहन सम्बन्धित अनुमोदित मध्यवर्तियों द्वारा किया जायेगा।
गांचा विभाग के कार्या को	जायगा।
में अनुसार के क्रायालया	17. सरकार, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड उपनिबन्धकों एवं जिला-निबन्धकों,
ा जापरपक पत्र- सानगा	उपमही।नरक्षिक निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के कार्यालयों एवं ।
हार्डवेयर एवं अवस्थापन	एस अन्य कार्यालयों को आवश्यक हार्डवेयर और अवस्थापन को उपलब्ध
प्रदान करेगा	करायगा, जिनमं, व्यक्तिगत कम्प्यटर प्रिन्टर बारकोड स्केनर इन्टरनेट
	कनेक्शन आदि, हैं जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
	अभिकरण द्वारा विानांदष्ट किया जाय. शामिल होंगे।
अधिकृत सँग्रह केन्द्र के	18 नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में
अभिकरण की समाप्ति	अभिलिखित किये जायेगें किसी अधिकृत सँग्रह केन्द्र के अभिकरण को
	समाप्त करने के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को परामर्श दे
	सकता है तथा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण ऐसे परामर्श को मानने
	के लिए बाध्य होगा।
ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की	19 ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र किसी भी धनराशि के लिए निर्गत किया जा सकता
न्यूनतम मूल्य-सीमा	है।
6	
	भागा ह संग्रहाती जेवल में उत्पार करने
केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण	भाग-5, सरकारी लेखा में स्टाम्प शुल्क का प्रेषण
	20 (1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अपने कार्यालयों / शाखाओं और अपने
	संग्रह केन्द्रों द्वारा संकलित स्टाम्प शुल्क की धनराशि को अनुबन्ध में यथा
धनराशि को कम करके	सुनिश्चित, बेट्ट की धनराशि की कम करके स्टाम्प शल्क के संग्रह के दिन्।
स्टाम्प शुल्क को अगले	से दिन की अवधि के अन्दर, जैसा कि अनबन्ध में पारस्परिक रूप से
कार्य-दिवस में सरकारी	सहमत हो, राज्य के कोषागार लेखा शीर्षक "0030 स्टाम्प एवं निबन्धन

खाता में प्रेषित करेगा	0
जाता न प्रापत कर्गा	शुल्क-02 स्टाम्प न्यायिकेतर'' में प्रेषण के लिए दायी होगा। (2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा राज्य के कोषागार शीर्षक लेखा ''0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क-02 स्टाम्प न्यायिकेतर'' में स्टाम्प शुल्क की धनराशि के प्रेषण का तरीका, इलेक्ट्रानिक-समाशोधन प्रणाली, चालान अथवा अन्यथा, जैसा कि समय-समय पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित में निर्देशित किया जाय, के माध्यम से होगा। (3) उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित धनराशियों का प्रेषण, सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचित करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक/एजेन्सी बैंकर के सरकारी व्यापार शाखाओं में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर हार्ड एवं साफ्ट कापी में प्रेषित किया जाएगा। (4) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए 'स्टाम्प शुल्क के संग्रह का दिन' का तात्पर्य वह दिन होगा, जिस दिन स्टाम्प शुल्क की धनराशि केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के लेखा में प्राप्त की गई है अथवा जमा की गई है।
	भाग-6-ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के निर्गम के लिए प्रक्रिया
ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन	21 स्टाम्प शुल्क के संदाय करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिए अनुमोदित मध्यवर्तियों में से किसी से भी सम्पर्क करेगा व स्टाम्प शुल्क की धनराशि की अदायगी के साथ विहित प्रारूप—3 में आवश्यक विवरणों को उपलब्ध करायेगा।
स्टाम्प शुल्क के संदाय की विधि	22. स्टाम्प शुल्क की धनराशि का संदाय नकद चैक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रानिक—समाशोधन प्रणाली , रीयल—टाईम—ग्रास— सेटलमेन्ट अथवा निधियों के अन्तरण की कोई अन्य विधि, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, द्वारा किया जा सकता है।
ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का निर्गम	23 (1) नियम 21 के अन्तर्गत अदायगी किये जाने की पुष्टि होने पर, अनुमोदित मध्यवर्ती का प्राधिकृत अधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन प्रारूप—3 में यथोल्लिखित आवश्यक सूचना एवं विवरणों की प्रविष्टि अपने कम्प्यूटर प्रणाली में करेगा, ऐसे प्रविष्ट विवरणों की सत्यता को आवेदक द्वारा सत्यापित करायेगा, सत्यापन के साक्ष्य के रूप में आवेदन पर उसका हस्ताक्षर लेगा, ई—स्टाम्प—प्रमाणपत्र को डाउनलोड करेगा, इसका प्रिन्ट निकालेगा, सतिथि हस्ताक्षर करेगा और प्रिन्टआउट पर अपने कार्यालय की मुहर लगायेगा, तथा इसे आवेदक को प्रदान करेगा। (2) ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के प्रिन्टर में प्रयोग की जाने वाली स्याही अमिट व स्थायी रूप से काली होनी चाहिए।
समाशोधन के अध्यधीन चैक्स एवं ड्राफ्ट्स द्वारा संदाय	24 यदि स्टाम्प शुल्क का सदाय नकद अथवा, रीयल टाईम ग्रास सेटलमेन्ट से भिन्न किसी विधि से किया जाता है तो प्राधिकृत मध्यवर्ती के लेखा में धनराशि के जमा होने एवं उसकी वसूली हो जाने के पश्चात् ही ई—स्टाम्प पेपर निर्गत किया जायेगा।
ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र पर	25 (1) हस्ताक्षर एवं मुहर (निर्गम अधिकारी के नाम एवं पदनाम तथा अनुमोदित
हस्ताक्षर एवं मुहर, कागज का आकार तथा निर्गम— अधिकारी के रूप में केवल नियमित कर्मचारी को ही अमिहित किया जायेगा	मध्यवर्ती की शाखा का नाम व पता को प्रदर्शित करते हुए) स्थायी नीली—काली स्याही में बनाये जायेंगे। (2) ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र, 80 ग्राम प्रति वर्ग मीटर विशिष्ट गुणवत्ता के A4 आकार के कागज पर मुद्रित किया जायेगा। (3) अनुमोदित मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्ति जिसे ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र को निर्गत करने हेतु दायित्व प्रदान किया गया है, एक पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त, नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी है, तथा उसके पास पर्याप्त सेवा—काल है। कोई व्यक्ति, जो अंशकालिक अथवा प्रशिक्षु अथवा संविदा के आधार पर, अथवा कमीशन के आधार पर कार्यरत हो, उसे ऐसे कार्य में न्यस्त नहीं किया जाना चाहिए।
	2000

ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का	26 निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का विवरण केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण
विवरण वेबसाईट पर होगा	द्वारा सुरक्षित ई-स्टाम्पिंग सर्वर पर, उपलब्ध कराया जायेगा और वह
	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रदान किये जाने वाले वैध-
	कोड अथवा पासवर्ड, को रखने वाले उपनिबन्धक सहित नियुक्ति-प्राधिकारी
	टाय ट्रम निमिन्न अधिक किसी भी निम्न के निम्न के
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का	द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी भी व्यक्ति की अभिगम में रहेगा।
संदाय	
रायाय	निश्चित अभिधान का एक ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र है और उसे उसी लिखत
	पर स्टाम्प शुल्क की अतिरिक्त धनराशि अदा करनी है तो, वह अतिरिक्त
	स्टाम्प शुल्क का ऐसी धनराशि की अदायगी के साथ विहित प्रारूप-4 में
-00	अनुमादित मध्यवती को एक आवेदन देगा।
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के	
लिए ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र	तक में यथा प्राविधानित विधि से कागज के पृथक् पन्ना पर ई-स्टाम्प
का निर्गम	प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा।
	(2) लिखत का पक्षकार अपने विवेकानुसार, अधिनियम के अधीन, ऐसे
	लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को अदा करने के लिए ई-स्टाम्प
	प्रमाण-पत्र के साथ-साथ विमुद्रित स्टाम्पों का भी प्रयोग कर सकता है।
	उसी लिखत में एक प्रकार के स्टाम्प का प्रयोग अन्य प्रकार के स्टाम्प के
	प्रयोग को अपवर्जित नहीं करेगा।
ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का	
प्रयोग – कैसे लिखा	
जायेगा।	ज जारा रचा । राजिस इस अवर्गर से लिखा
-11.7.11	जायेगा कि ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र लिखत के पटल पर दिखाई दे और वह
	अन्य लिखत के लिए प्रयोग न किया जा सके।
	(2) उपनियम (1) का उल्लंघन करके लिखा गया प्रत्येक लिखत
2	अस्टाम्पित माना जायेगा।
ई-स्टाम्प- प्रमाण-पत्र की विशिष्ट संख्या लिखत के	
	अधिक पृष्ठ ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किये गये हों तो
प्रत्येक पृष्ठ पर लिखी	ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की विशिष्ट व विलक्षण परियच-संख्या लिखत के
जायेगी।	प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष केन्द्र पर लिखी जायेगी या टंकित की जायेगी।
विशिष्ट क्रम संख्या का	31. (1) उपनिबन्धक निबन्धन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या, 16, 1908)
उपनिबन्धक सत्यापन	द्वारा वाछित पूँछ—ताँछ करने के पश्चात् तथा उक्त अधिनियम की धारा 52
करेगा	के अधीन कार्य करने की प्रक्रिया के पूर्व केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
	अभिकरण द्वारा प्रदत्त यूजर कोड एवं पासवर्ड का प्रयोग कर, केन्द्रीय
	अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के सुसंगत वेबसाईट पर अभिगम स्थापित कर
	अपने कम्प्यूटर प्रणाली में ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के विशिष्ट व विलक्षण
	संख्या की प्रविष्टि कर, विलेख में प्रयुक्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के विवरण
	को सत्यापित करेगा तथा प्रणाली में प्रदर्शित विवरणों से प्रमाण-पत्र के
	विवरणों की तुलना करेगा।
	(2) उप निबन्धक केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त यूजर
	कोड और पासवर्ड को प्रकट न करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह इस
	गान कोट गा प्रापान के जनमान मा विश्व होंगा। वह इस
	यूजर कोड या पासवर्ड के दुरूपयोग या अप्राधिकृत प्रयोग के कारण
उपनिबन्धक, ई-स्टाम्प	सरकार को हुई किसी हानि के लिए दायी समझा जायेगा।
प्रमाण पत्र संख्या को लॉक	32. उपनिबन्धक विवरणों का सत्यापन करने के पश्चात् अपने कम्प्यूटर के
करेगा	प्रयोग द्वारा ऐसे ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के पुर्नप्रयोग को रोकने के लिए
47(4)	ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र की विशिष्ट व विलक्षण पहचान—संख्या को अनिवार्य
र्ज जन्मा	रूप से लॉक करेगा।
ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र	33. इस नियमावली के अधीन निर्गत किसी ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का वही
अधिनियम की धारा—13	प्रभाव होगा मानो कि प्रमाण-पत्र में अभिकथित धनराशि के बराबर धनराशि
की अपेक्षाओं को पूर्ण	का शुल्क उसके परिप्रेक्ष्य में संदाय कर दिया गया है और अधिनियम की
करेगा	धारा 13 की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे संदाय को ऐसे लेखपत्र में जिसके
	साथ वह संलग्न है स्टाम्प के द्वारा इंगित कर दिया गया है।

		8
अनुमोदित मध्यवर्ती	34.	(1) अनुंमोदित मध्यवर्ती लिखित रूप में उल्लिखित पर्याप्त कारण के बिना
ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र को		किसी सद्भावी क्रेता को ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र को निर्गत करने से इनकार
सद्मावी क्रेता को निर्गम		नहीं करेगा। इसका अनुपालन न करना उसके नियुक्ति के निबंधन एवं शर्ती
करने से इनकार नहीं		का उल्लंघन माना जायेगा।
करेगा		(2) ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों का निर्गम स्टाम्प शुल्क का संदाय करने के
		लिए प्रत्येक प्रकार के लिखत में प्रयोग करने के लिए किया जा सकता
		है, चाहे ऐसे लिखत का पंजीयन निबन्धन अधिनियम, 1908 (अधिनियम
		संख्या, 16, 1908) की धारा 17 एवं धारा 18 के अधीन अनिवार्य हो या
		वैकल्पिक।
ई-स्टाम्पिंग का	35.	अनुमोदित मध्यवर्ती, जहाँ तक संभ्भव हो मात्र उन्हीं लेखपत्रों के सम्बन्ध में
स्थानीयकरण किया	00.	ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों को निर्गत करेगा, जिनका प्रयोग या निबन्धन, उसी
जायेगा		जनाद विकार अनुमित्र क्यार्टी का निर्मा कार्यार (क्यार्टी का निर्मा कार्यार्टी का
SIL4 II		जनपद, जिसमें अनुमोदित मध्यवर्ती का निर्गम कार्यालय / शाखा स्थित हो, में किया जाना है।
खराब हए	00	भाग-7-ई-स्टाम्पों का निरस्तीकरण एवं वापसी
2,	36.	3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
/अप्रयुक्त/प्रयोगार्थ अनपेक्षित ई—स्टाम्प		प्रमाण-पत्र' के मूल प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप-5 में आवेदन किये
अनपेक्षित ई—स्टाम्प प्रमाण–पत्र की वापसी की		जाने पर कलेक्टर यदि वह तथ्यों से सन्तुष्ट है, तो अधिनियम की धाराओं
		52 से 57 तक एवं उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अध्याय-4 में
प्रक्रिया सहायक स्टाम्प		उल्लिखित नियमों 218 से 242 तक के प्राविधानानुसार ऐसे ई—स्टाम्प
आयुक्त को प्रेषित करेगा।		प्रमाण-पत्र के लिए छूट दे सकता है।
	-	(2) फिर भी, धारा 52, 53 एवं / या धारा 55 की अपेक्षाओं की पूर्ति हो
		जाने को सुनिश्चित कर लेने के पश्चात्, तथा अधिनियम की धारा, 56
		या धारा 57 के अधीन कार्य करने की प्रक्रिया के पूर्व जैसी भी स्थिति हो,
		वह, प्रश्नगत मूल ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के साथ उप नियम (1) में
·		निर्दिष्ट आवेदन को उसके औचित्य के सत्यापन तथा निरस्तीकरण के
		लिए सहायक स्टाम्प आयुक्त को प्रेषित करेगा।
सहायक स्टाम्प आयुक्त	37.	(1) सहायक स्टाम्प आयुक्त ईस्टाम्प प्रमाण-पत्र को सत्यापित करने के
निरस्त करेगा तथा		पश्चात कम्प्यूटर-प्रणाली के डाटाबेस में सत्यापित ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र
कलेक्टर अधिनियम की		को निरस्त करेगा, अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र पर
धारा—56 व 57 के		निरस्तीकरण के तथ्य का पृष्ठांकन करेगा, तथा अधिनियम की धारा, 56
अन्तर्गत कार्यवाही करेगा		व धारा 57 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, अग्रिम कार्यवाहियों के लिए
		उसे कलेक्टर को अग्रसारित करेगा।
	38.	(1) अधिनियम की धारा 56 अथवा धारा 57 द्वारा यथा अपेक्षित, जैसी भी
		स्थिति हो, सत्यापित एवं निरस्त ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने पर
		कलेक्टर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
		(2) सहायक स्टाम्प आयुक्त अपने कार्यालय में निरस्त स्टाम्प प्रमाण-पत्रों
		का एक अभिलेख रखेगा और उसका विवरण प्रत्येक माह के प्रथम
		सप्ताह में स्टाम्प आयुक्त, कलेक्टर, जनपद के कोषाधिकारी तथा जनपद
		के उपनिबन्धक को प्रेषित करेगा।
		(3) प्रतिदाय यदि कोई हो, को उपनियम (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा
		केवल उसी व्यक्ति, जिसके नाम से ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र निर्गत किया
		गया था, के पक्ष में आहरित एकाउन्ट पेयी चेक अथवा बैंक ड्राफट के
		माध्यम से किया जायेगा।
भा	т—8-	-निरीक्षण, सम्प्रेक्षा एवं प्रणाली के सम्पादन का मूल्यांकन
कौन अनुसूची में विहित	39.	(1) कलेक्टर, अपरजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), विभाग का कोई अभिहित
अनुमोदित मध्यवर्तियों का		अधिकारी और इस निमित्त नियुक्ति—प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से
निरीक्षण कर सकता है		अधिकृत, कोई निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का तकनीकी एवं सम्प्रेक्षा में
		निपुण व्यक्ति / अभिकरण राज्य में कार्यावधि के अन्दर किसी कार्य–दिवस में
		ार्या -नामरा / जानमञ्जन राज्य न प्रायापाय पर अन्पर पिता पाय-पिप्स म

	and observe if from him to it to the and it to the and
	अपने क्षेत्राधिकार में स्थित, जेसा कि संलग्नक—1 में निरीक्षणों की अनुसूची
	में उल्लिखित है, अनुमोदित मध्यवर्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
	(2) उपनियम (1) में उल्लिखित नियमित निरीक्षणों के अतिरिक्त, स्टाम्प
	आयुक्त, फिर भी, शिकायत की प्राप्ति पर अथवा स्वप्रेरणा से केन्द्रीय
	अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी
	शाखा या कार्यालय का निरीक्षण करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु किसी
	भी अधिकारी को निर्देश दे सकता है।
	(3) महालेखाकार उत्तराखण्ड केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा
Chang vi volog and	की गई प्राप्तियों एवं प्रेषणों की वार्षिक तकनीकी सम्प्रेक्षा कर सकता है।
निरीक्षण एवं सम्प्रेक्षा करने	40. राज्य में, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की
के लिए अनुसरण की जाने	शाखाओं एवं कार्यालयों में से सभी या किसी शाखा एवं कार्यालय का
वाली अनुसूची	निरीक्षण एवं सम्प्रेक्षा जहाँ तक सभ्भव है, नियम 39 के उप नियम (1) में
* Au 200) Tr 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	उल्लिखित निरीक्षणों की अनुसूची के अनुसार किया जायेगा। 41. ऐसे निरीक्षण के अन्तराल में, निरीक्षणकर्ता अधिकारी अथवा दक्ष
केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण	
अभिकरण / प्राधिकृत संग्रह केन्द्र सूचना देने के	व्यक्ति / अभिकरण निरीक्षित शाखा / कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से किसी भी अवधि से सम्बन्धित स्टाम्प शुल्क के संग्रह एवं प्रेषण विषयक सूचना
लिए बाध्य है	किसी इलेक्ट्रानिक अथवा डिजिटल अभिलेख की साफ्ट अथवा हार्ड कापी
ारार् पाज्य ह	पर प्रदान करने के लिए अपेक्षा कर सकता है। सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख
	अनुरक्षण अभिकरण अथवा प्राधिकृत संग्रह केन्द्र ऐसी सूचना को प्राथमिकता
	के आधार पर प्रदान करने के लिए बाध्य होगा
निरीक्षण रिपोर्ट की	42. निरीक्षणकर्ता अधिकारी, निरीक्षण की तिथि से, एक सप्ताह तथा तकनीकी
प्रस्तुतीकरण	एवं सम्प्रेक्षा में दक्ष व्यक्ति/अभिकरण दो सप्ताह के अन्दर, चूकों ,
N.G. (147.	उल्लंघनों, विलम्बों अथवा अनियमितताओं (यदि कोई हों), सुझावों एवं
	अनुशंसाओं आदि के सम्बन्ध में सर्वेक्षणों का उल्लेख करते हुए निरीक्षण की
	रिपोर्ट स्टाम्प आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करेगा।
स्टाम्प आयुक्त समुचित	43. निरीक्षण-रिपोर्ट प्राप्त करने पर, स्टाम्प आयुक्त एक सप्ताह के अन्दर
कार्यवाही करेगा	सम्बन्धित प्रकरण में समुचित कार्यवाही करेगा तथा नियुक्ति—प्राधिकारी से
Prince and	अर्थ—दण्ड के आरोपण एवं/अथवा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण
	अथवा प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के अभिकरण की नियुक्ति की समाप्ति (यदि
	परिस्थितियों से वैसा सम्पुष्ट हो) सहित, अनुशंसा कर सकता है।
	यदि फिर भी स्टाम्प आयुक्त सरकार द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के
	रूप में भी कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाय तो वह नियम 44
	के अधीन उस हैसियत से समुचित कार्यवाही करेगा।
नियुक्ति प्राधिकारी समुचित	44. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को सुनवाई का युक्ति—युक्त अवसर
कार्यवाही करेगा	प्रदान करने के पश्चात्, नियुक्ति प्राधिकारी, निरीक्षण/तकनीकी
	–सम्प्रेक्षा–रिपोर्ट एवं स्टाम्प आयुक्त की अनुशंसाओं के आधार पर कोई
	समुचित कार्यवाही, जैसा वह उचित समझे, कर सकता है।
	भाग-9-चूकों एवं उल्लंघनों के लिए अर्थ-दण्ड
सरकारी लेखा में प्रेषण में	45. यदि, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण नियम 20 में वर्णित कालावधि में
विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	स्टाम्प शुल्क के प्रेषण में असफल रहता है, तो केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
	अभिकरण स्टाम्प शुल्क की संग्रहीत धनराशि के साथ, विलम्ब की अवधि
	के प्रथम सात दिवसों के लिए 10 प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद 13
	प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिए दायी होगा। ऐसी संगणना के
	प्रयोजन के लिए एक दिन का कोई भाग एक दिन माना जायेगा।
प्रेषण में विलम्ब के सम्बन्ध	
में विवाद	45 के अधीन ब्याज देने के दायित्व के सम्बन्ध में किसी विवाद की दशा में
	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को विलम्ब के कारण के बिन्दु पर
	सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जायेगा, और
	(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि प्रेषण में विलम्ब
	ऐसे कारणों से हुआ था जो केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के

	10	
	नियंत्रण के बाहर था, तो वह नियम, 45 में वर्णित ब्याज को अप	पने
	विवेक से पूर्णतः या अंशतः अधित्यजित कर सकता है।	
	(3) उप नियम (2) कि अधीन नियुक्ति प्राधिकारी का कोई विनिश्चय अन्ति	तम
	होगा।	
केन्द्रीय अभिलेखः अनुरक्षण	 (1) यदि केन्द्रींय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा इसके प्राधिव 	कृत
अभिकरण सरकार को	संग्रह—केन्द्रों में से किसी भी की तरफ से कृत किसी कार्य, चू	
प्रतिकर देने के लिए	अनियमितता अथवा उल्लंघन द्वारा सरकार को राजस्व-क्षति कारित की	
उत्तरदायी होगा	है, तो केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण नियम 45 में वर्णित ब्याज	
	सरकार को कारित राजस्व की क्षति की धनराशि की दोगुने से अनि	
	धनराशि के अर्थदण्ड के साथ, राजस्व की क्षति की ऐसी धनराशि	
	प्रतिकर करने के लिए उत्तरदायी होगा।	
	(2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को, फिर भी, उपनियम (1) के	
	अधीन निर्णय लेने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।	
देय धनराशि एवं अर्थदण्ड,	48. यदि केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण नियम 45 अथवा नियम 47	के
	18. यद कन्द्राय आनलख अनुस्तान आनकरन नियम ४५ अथवा नियम ४१	गेन
भूराजस्व के बकाया के	अधीन, सरकार को देय धनराशि एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोपि	
रूप में वसूल किया	अर्थदण्ड का संदाय करने से मना करता है तो इसकी वसूली भूराजस्व	4)
जायेगा	बकाया के रूप में की जायेगी।	1
सरकार, केन्द्रीय अभिलेख	49. सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी अथवा विभाग का कोई अधिकारी, उस	197
अनुरक्षण अभिकरण अथवा	अथवा तृतीय पक्ष द्वारा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा इस	
इसके प्राधिकृत संग्रह	प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों को किसी कार्य या चूक सहित हार्डवेयर एवं साफ्टवे	44
केन्द्रों को कारित किसी	के दुरूपयोग या कुसंचालन के कारण कारित किसी क्षति या नुकसानी	γd
क्षति अथवा नुकसानी के	नेटवर्क में किसी दोष या कुक्रियाशीलता अथवा किसी भी कारण से उ	उन्ह
लिए दायी नहीं है।	कारित किसी भी नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।	
<u> </u>	भाग10 माध्यस्थम्	
माध्यस्थम् की व्यवस्था	50. अनुबन्ध के पक्षकारों के मध्य समस्त विवाद एवं मतभेद, जहाँ तक सम्भव	ਛੋਂ,
	सौहार्दपूर्वक निस्तारित किये जायेंगे तथा असफल होने की स्थिति में, सम	स्त
	ऐसे विवाद भारतीय माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनि	यम
	संख्या, 26 सन्, 1996) के प्राविधानों के अधीन पारस्परिक रूप से सहम	नित
	प्राप्त मध्यस्थ को सन्दर्भित किये जॉयेंगे।	
माध्यस्थम् का स्थान	51. माध्यस्थम् का स्थान देहरादून होगा।	
	भाग–11–जन–शिकायत–निवारण–प्रणाली	
शिकायत निवारण	51. (1) स्टाम्प आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, इस नियमावली से सम्बन्धि	धत
अधिकारी	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा इसके प्राधिकृत संग्रह के	न्द्रो
	अथवा अन्य अधिकारी के कदाचार अथवा अनियमितताओं के विरूद्ध प्र	
	शिकायतों के परीक्षण एवं जॉच के लिए विभाग के एक अथवा एकाधि	धेक
	अधिकारियों को पदाभिहित करेगा, जिसे शिकायत—निवारण अधिकारी व	कहा
	जायेगा।	
	(2) शिकायत निवारण अधिकारियों को उप नियम (1) के अधीन प्र	गप्त
	शिकायतों के निस्तारण के लिए विनिर्दिष्ट जनपदों को आवंटित वि	<u>ज्या</u>
	जायेगा।	
शिकायत निवारण	52. कोई स्टाम्प-शुल्क-दाता जिसे, इस नियमावली के क्रियान्वयन से सम्बन्धि	स्थत
अधिकारी से शिकायत की	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा उसके कि	pसी
जायेगी	प्राधिकृत—संग्रह—केन्द्र अथवा किसी अन्य अधिकारी की सेवाओं के विर	
VII-4-11	कोई शिकायत है, वह, शिकायत के कारण को सम्पुष्ट करने के	लेए
	दस्तावेजी अथवा अन्य साक्ष्यों के साथ सम्बन्धित शिकायत निवा	रण
	अधिकारी से शिकायत कर सकता है।	, ,
जांच अधिकारी द्वारा		ही
	53. (1) शिकायत को प्राप्त करने पर समस्या निवारण आधकारा शाध शिकायत को नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में लायेगा,	0
सुनवाई का अवसर	(2) नियुक्ति प्राधिकारी, शिकायत की जॉच करने के लिए शिका	ायत
	(८) मियुवित प्राविकारा, शिकावत का जाव करन के लिए शिका	1911

r	. 11
	निवारण अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी (जिसे जॉच अधिकारी कहा जायेगा) को आदेश दे सकता है,
	(3) जॉच अधिकारी शिकायतकर्ता एवं केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण
	/ सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई का युक्ति—युक्त अवसर प्रदान करेगा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, (यदि कोई हो), का परीक्षण करेगा।
जॉच–रिपोर्ट	54. जॉच करने के पश्चात् जॉच अधिकारी अपनी जॉच-रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी
	के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
नियुक्ति प्राधिकारी	55. जॉच रिपोर्ट के आधार पर, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति-प्राधिकारी या
जॉच-रिपोर्टी पर कार्यवाही	तो केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के विरूद्ध उचित कार्यवाही करेगा
करेगा	अथवा सुसंगत सेवा नियमों, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन कार्यवाही करने
	के लिए विभाग के सम्बन्धित अधिकारी के नियोक्ता से उचित अनुशंसा
	करेगा।
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	भाग-12-प्रबन्धन सूचना प्रणाली / निर्णय समर्थन प्रणाली
केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण सम्बन्धित विभाग	56. (1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण निम्नलिखित सूचना-रिपोर्ट्स को,
को प्रबन्धन सूचना प्रणाली	आयुक्त, स्टाम्प अथवा समस्त ऐसे अन्य अधिकारियों, जैसा कि वह निर्देशित
एवं निर्णय समर्थन प्रणाली	करें, को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा:-
रिपोर्ट्स को उपलब्ध	(2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण ई—स्टाम्प प्रणाली में अपेक्षित सूचना रिपोर्ट तक पहुंच के लिए स्टाम्प आयुक्त को और किसी या सभी ऐसे
करायेगा	अधिकारियों को, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में निर्देशित करें, लागिन—आईडी
	उपलब्ध करायेगा।
	(एक) सम्प्रेक्षा—अन्वेषण रिपोर्ट्स — किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से
	सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों
	की शाखाओं / कार्यालयों के उपयोक्ताओं द्वारा अनुपालित प्रणाली पर
	आधारित समस्त कार्यवाहियों का पता लगाना।
	(दो) सरकार को देय से सम्बन्धित रिपोर्ट्स-
	किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख
	अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत—संग्रह—केन्द्र की प्रत्येक
	शाखा / कार्यालय की संग्रह—रिपोर्ट, (तीन) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के प्रमाण—पत्र की
	(तान) जातारवत स्टान्य सुरक क प्रमाण-पत्र का
	रिपोर्ट्स —
	किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख
	अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की समस्त
	शाखाओं / कार्यालयों अथवा उनमें से किसी के लिए,
	(चार) लाक्ड ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की रिपोर्ट-
	किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित समस्त उपनिबन्धकों
	अथवा उनमें से किसी के सम्बन्ध में,
	(पांच) प्रेषण—रिपोर्ट— किसी विर्निदिष्ट दिन या अवधि से सम्बन्धित सरकार के खाते में केन्द्रीय
	अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रेषणों का जनपदवार विवरण,
	. (छ:) निरस्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों की रिपोर्ट-
	किसी विशिष्ट या सभी सहायक स्टाम्प आयुक्तों से सम्बन्धित किसी
	विर्निदिष्ट दिन या अवधि से सम्बन्धित (नियम 38 के उप नियम (2) में
	निर्दिष्ट)
	(सात) प्रमाण पत्र उत्पादन रिपोर्ट:-किसी विर्निदिष्ट दिन या अवधि के
	सम्बन्ध में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों
	की किसी / सभी संग्रह शाखाओं / कार्यालयों के लिए उत्पादित
	ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की रिपोर्ट।
	(आठ) वार्षिक स्टाम्प शुल्क संग्रह रिपोर्ट:—केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
	प्राधिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्दों की कोई / सभी संग्रह शाखाओं

		12
		/ कार्यालयों द्वारा संग्रहीत स्टाम्प शुल्क की वार्षिक रिपोर्ट।
		(नौ) स्टाम्प शुल्क सदश संग्रह रिपोर्ट:-जिसमें केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
		अभिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी/सभी संग्रह शाखाओं
		/ कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष के लिखत सदृश मासिक स्टाम्प
		शुल्क संग्रह की श्रेणी प्रदर्शित होगी।
		(दस) स्टाम्प शुल्क लेखा की रिपोर्ट:-केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण
		अभिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी /सभी शाखाओं
		/ कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष की स्टाम्प शुल्क संग्रह रिपोर्ट।
		(ग्यारह) कोई अन्य ऐसी रिपोर्ट या सूचना जिसकी समय-समय पर
		स्टाम्प आयुक्त द्वारा अपेक्षा की जाये।
		भाग-13-कोषागार विभाग की भूमिका
कोषागार दैनिक प्रेषणों का	57.	कोषाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक की सरकारी—व्यवसाय—शाखा से प्राप्त
सत्यापन करेगा		लेखासूची से नियम20 में उल्लिखित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण
		द्वारा सरकारी खाता में स्टाम्प शुल्क के दैनिक प्रेषणों के विवरणों का
		सत्यापन करेगा तथा दैनिक प्रेषणों के विवरणों की सत्यापित हार्ड कापी
		. स्टाम्प आयुक्त को प्रेषित करेगा।
		भाग-14-शक्तियों का प्रतिनिधायन
नियुक्ति प्राधिकरी सभी	58.	नियुक्ति प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, सभी अथवा किसी शक्ति
अथवा किसी भी शक्ति का		एवं/अथवा कृत्य का प्रतिनिधायन विभाग के किसी अधिकारी (अधिकारियों)
प्रतिनिधायन कर सकता है		को कर सकता है।
नियमावली को संशोधन	59.	(1) सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस नियमावली में संशोधन कर
करने की शक्ति		सकती है, अथवा
		(2) स्टाम्प आयुक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस नियमावली में
		संशोधन कर सकता है।
व्यावृतियाँ एवं निरसन	60.	इस नियमावली तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(अधिनियम सं० 2,
		1899) या निबन्धन अधिनियम 1908 (अधिनियम संख्या—16 सन् 1908) या
		उन अधिनियमों के अधीन बनायी गई नियमावलियों के किसी उप बन्ध,
		जैसी भी स्थिति हो, में किसी विरोधाभास की दशा में ऐसे अधिनियमों या
		उनके अधीन बनायी गई नियमावलियों के प्राविधान प्रभावी होगे।
		परिशिष्ट
/ \ V		

(क) सॅलग्नक-

सॅलग्नक—1 — सम्प्रेक्षा एवं निरीक्षणों की अनुसूची— देखें नियम 39

(ख) इन नियमों के अन्तर्गत प्रपत्र —

- प्रपत्र—1— केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के साथ अनुबन्ध देखें नियम 6 का उप नियम (1)
 प्रपत्र—2— दायित्व एवं क्षतिपूर्ति बन्धपत्र —देखें नियम 6 का उप नियम (2)
- 3. **प्रपत्र-3** ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र हेतु आवेदन देखें नियम 21

4. प्रपत्र-4- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क हेतु आवेदन- देखे नियम 27

प्रपत्र-5- स्टाम्प शुल्क के निरस्तीकरण एवं वापसी हेतु आवेदन देंखे नियम 27 हेतु आवेदन- देखें नियम 36

(आलोक कुमार जैन) प्रमुख सचिव।

सं0 /2011/XXVII(9)/स्टाम्प-42/ 2008 तद्दिनांक प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरिक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।
- 4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड

5. न्याय / विधायी अनुभाग।

समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी ।

- 7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
- प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।

9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल) प्रभारी सचिव, वित्त।

प्रारूप-1 (देखें नियम-6(1) अनुबन्ध

यह अनुबन्ध माह सन् २०० के वें दिन
उत्तराखण्ड के राज्यपाल जिनका प्रतिनिधित्व, प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून है, द्वारा किया गया है (जो, एतत्पश्चात् ''राज्य'' अथवा ''सरकार'' जैसी भी स्थिति हो, के रूप में निर्दिष्ट हैं) प्रथम पक्ष एवं
(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का नाम) जिनका पंजीकृत कार्यालय
''राज्य'' अथवा ''सरकार'' तथा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण सम्मिलित रूप से ''पक्षकारों'' एवं उनमें से कोई एक ''पक्षकार'' विनिर्दिष्ट है।
जबिक, भारत सरकार के पत्र एफ संख्या.16—1—2004 CY. दिनांक 28 दिसम्बर 2005 में वर्णित निर्देशानुसार, कम्प्यूटरीकृत स्टाम्प शुल्क प्रशासन प्रणाली के लिए और स्टाम्प शुल्क के संग्रह की इलेक्ट्रानिक विधि के यन्त्रीकरण को योजनाबद्ध करने हेतु सम्यक् नीलामी—प्रक्रिया के पश्चात् (कम्पनी. का नाम) का चयन केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु किया गया।
और जबिक, भारत सरकार वित्त मन्त्रालय, आर्थिक—कार्य—कलाप—विभाग ने उक्त पत्र में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को, ई—स्टाम्पिंग यन्त्रीकरण के माध्यम से संग्रहीत स्टाम्प शुल्क के मूल्य के 0.65 प्रतिशत के संदाय के विरूद्ध राज्यों में विभिन्न सेवाओं के दायित्व को ग्रहण करने के लिए भी अधिकृत किया है। और जबिक, कथित अधिसूचना के अनुसरण में (कम्पनी का नाम) ने राज्य में ई—स्टाम्पिंग यन्त्रीकरण के क्रियान्वयन हेतु सरकार से सम्पक्र स्थापित किया है।
और जबिक, राज्य ने(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण कम्पनी का नाम) को, अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य में, प्रस्तावित सी—एस०डी०ए०एस० के लिए सरकारी सूचना दिनांक के द्वारा अपना केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अनुमोदित एवं अधिकृत किया है।
और जबिक,एक प्रणाली का विकास करेगी जो ग्राहक / अन्तिम उपयोक्ता द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से स्वयं अथवा राज्य के पूर्वानुमोदन से, प्राधिकृत मध्यवर्तियों, जिन्हे एतत्पश्चात् प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों कहा गया है, के माध्यम से स्टाम्प शुल्क को संदाय करने की अनुज्ञा देगी।
अनुशा देगा। सम्प्रति, एतद्द्वारा, पक्षकारों के मध्य उनके द्वारा निम्नवत् अनुबन्ध किया जाता है:
1— <mark>(कम्पनी का नाम) की केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्ति:</mark> — 1.1 राज्य, एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यों के दायित्व के निर्वहन के लिए अपने अनन्य प्राधिकत केन्द्रीय

अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में (कम्पनी का नाम)..... को नियुक्त करता है:--

(1) आवश्यकता के अनुसार, अवस्थापन, हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा ई-स्टाम्पिंग परियोजना पर इसके प्रयोगों को सुगम बनाने के लिए संयोजन को तैयार करना।

(2) ई-स्टाम्पिंग एवं स्टाम्प शुल्क के संग्रह के लिए अनुमोदित मध्यवर्तियों के चयन को सुगम बनाना। (3) महानिरीक्षक निबन्धन / स्टाम्प आयुक्त उत्तराखण्ड के कार्यालय, उपमहानिरीक्षक, निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उपनिबन्धकों एवं जिला निबन्धकों तथा अनुमोदित मध्यवर्तियों के कार्यालयों के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करना।

(4) कम्प्यूटर प्रणालियों से धनराशि—संग्रह कराना तथा ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों को उत्पन्न करना।

(5) खातों के समाधान के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की संग्रहीत धनराशि के प्रेषणों को राज्य के पक्ष में प्रभावी बनाना।



1.2 पक्षकार पारस्परिक सहमति से, नियुक्ति के किसी भी क्षेत्र को उपान्तरित कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं अथवा उसमें राज्य की लोक—नीति एवं व्यापार की अत्यावश्यकताओं पर आधारित किन्हीं परिवर्तनों को कर सकते हैं।

2— क्षेत्र:— इस अनुबन्ध के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य अथवा विनिर्दिष्ट जनपदों की ऐसी कम संख्या, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, होगी।

3. अनुमोदित मध्यवर्तियों अर्थात् प्राधिकृत संग्रह-केन्द्रों की नियुक्ति:-(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)...... अनुमोदित मध्यवर्तियों की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर करेगी जैसा कि(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से विनिश्चित की जॉय। 3.2 अनुमोदित मध्यवर्तियों में से, अनुसूचित बैंक, वित्तीय संस्थान, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, व्यावसायिक व्यक्ति, डाकखाना, बीमा-विनियमन विकास प्राधिकरण मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी अथवा कोई अन्य व्यक्ति / संस्था, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाय, अधिमानतः (वरीयता से) प्राधिकृत संग्रह केन्द्र हो सकते हैं। 3.3 राज्य में(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... के सभी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार स्टाम्प शुल्क का संग्रह करेंगे, जिसके लिए सरकार से पृथक् अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा। 3.4 ऐसे सभी प्राधिकृत मध्यवर्ती, अपेक्षित कम्प्यूटरीकरण, लेजर प्रिन्टर्स, इन्टरनेट-संयोजन, तथा ई-स्टाम्पिंग प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए अन्य नियमित अवस्थापन से सुसज्जित होंगे। ऐसे उपकरण को उपलब्ध कराये जाने का व्यय, सम्बन्धित अनुमोदित मध्सवर्तियों द्वारा वहन किया जायेगा। 3.5 ऐसे सभी अनुमोदित मध्यवर्ती, पहचान संख्या एवं गोपनीय पासवर्ड के प्रयोग द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से मुख्य सर्वर से अभिगम स्थापित करेंगे। यह विशिष्ट पहचान संख्या एवं पासवर्ड(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... द्वारा आवंटित किये जायेंगे। इस पासवर्ड को गोपनीय रखा जायेगा तथा गोपनीयता को कायम रखने के लिए इसके आवंटन के पश्चात् शीघ्र परिवर्तित करने के लिए सम्बन्धित अनुमोदित मध्यवर्ती से अपेक्षा की जायेगी। 3.6 अनुमोदित मध्यवर्ती प्रणाली में सूचना एवं विवरणों की प्रविष्टि करेगा तथा विशिष्ट क्रमाक के साथ स्टाम्प-प्रमाण-पत्र को डाउनलोड करेगा जिसे लेखपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। स्टाम्प-प्रमाण-पत्र के विवरण ई-स्टाम्पिंग सर्वर पर उपलब्ध होंगे। 3.7 अनुबन्ध के अन्तर्गत, सेवाओं को उपलब्ध कराने में(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... के परामर्श से राज्य, अनुमोदित मध्यवर्तियों के लिए नियुक्ति एवं अन्य निवंधनों एवं शर्तों से सम्बन्धित नियमों को बना सकता है अथवा दिशा-निर्देशन कर सकता है।

4. शुल्क

- 4.1(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)....... द्वारा उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु,(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)...... राज्य से ई—स्टाम्पिंग यन्त्रीकरण के माध्यम से संग्रहीत स्टाम्प शुल्क के मूल्य का 0.65 प्रतिशत कमीशन अथवा ऐसा अन्य प्रतिशत लेने के लिए अधिकृत होगी।(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)...... राज्य सरकार के खाते में अवशेष धनराशि के प्रेषण के पूर्व स्टाम्प शुल्क के संग्रह से प्राप्त शुल्क से इस कमीशन की कटौती करेगी।
- 5. राज्य सरकार को संदाय करने की विधि— 5.1 प्रस्तावित ई—स्टाम्पिंग प्रणाली, संग्रह एवं प्रदत्त स्टाम्प शुल्क का अन्तरण, दोनों को अनुज्ञप्त करेगी। 5.2 उक्त प्रेषणों को, रियल टाइम ग्रॉस सैटिलमेन्ट,इलेक्ट्रॉनिक विलयरिंग सिस्टम, चालान, बैंक ट्रांसफर अथवा ऐसी अन्य विधि जैसा कि समय—समय पर पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में विनिश्चय किया जाय, के माध्यम से सरकार के केवल अभिहित खाता ''0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क—02 स्टाम्प न्यायिकेतर'' में प्रभावी किया जायेगा।
- 5.3(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)...... उन्हीं धनराशियों को सरकार को संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो केवल या तो ग्राहक के माध्यम से अथवा अनुमोदित

मध्यवर्तियों के माध्यम से स्टाम्पों के डाउनलोड से संग्रहीत हैं। ऐसा संदाय, संग्रह के दिन के पश्चात दो दिन की अवधि के अन्दर सरकार के अभिहित खाता ''0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क—02 स्टाम्प न्यायिकेतर'' में किया जायेगा।

6. प्रस्तावित प्रणाली

- 6.2 राज्य, महानिरीक्षक, निबन्धन / स्टाम्प आयुक्त उत्तराखण्ड के कार्यालय व उपमहानिरीक्षक, निबन्धन सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उपनिबन्धकों एवं जिला निबन्धकों के कार्यालयों अथवा ऐसे अन्य कार्यालयों में हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं इन्फास्ट्रक्चर को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्रिन्टर, व्यक्तिगत कम्प्यूटर, बारकोड स्कैनर व इन्टरनेट संयोजन आदि, जैसा कि(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)................................ द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, शामिल होंगें।
- 6.3 केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को ऐसे साफ्टवेयर का प्रयोग करना पडेगा, जिससे कि निम्न न्यूनतम विवरण ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र पर प्रदर्शित हों-
- (1) प्रमाण-पत्र का विशिष्ट क्रमांक जिससे कि तन्त्र के अस्तित्व में रहने की अवधि में किसी दूसरे प्रमाण-पत्र में इसकी पुनरावृत्ति न हो।
- (2) निर्गम की तिथि एवं समय
- (3) प्रमाण-पत्र के माध्यम से प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि शब्दों एवं अंकों में,
- (4) ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र के क्रेता का नाम,
- (5) विलेख के पक्षकारों का नाम,
- (6) विलेख का विवरण, जिसपर स्टाम्प शुल्क का संदाय किया जाना आशयित है,
- (7) सम्पत्ति (यदि कोई हो), जो विलेख की विषय-वस्तु है, का विवरण,
- (8 केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा अधिकृत सँग्रह केन्द्र की निर्गम—शाखा का कोड, अवस्थिति तथा हा जनपद,)
- (9) प्रमाण-पत्र का कोई अन्य विशिष्ट प्रतीक, उदाहरणार्थ, बारकोड,
- (10) हस्ताक्षर तथा निर्गम—अधिकारी की मुद्रा के लिए स्थान,
- (11) किसी ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के प्रयोग की पुनरावृत्ति को निष्प्रभावी करने के लिए उपनिबन्धक को सुविधाः की उपलब्धता,
- (12) अप्रयुक्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र को निरस्त करने की सुविधा,

- (14) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-स्टाम्पिंग सर्वर पर, निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के विवरणों को उपलब्ध कराया जायेगा,
- (15) नियम 57 में यथावर्णित, ई-स्टाम्पिंग से सम्बन्धित विभिन्न संव्यवहार विवरणों को वेब पर उपलब्ध कराया जायेगा।

7. निबन्धन प्रणाली से अनुरूपता

7.1 उपनिबन्धक—कार्यालय तथा महानिरीक्षक, निबन्धन/स्टाम्प आयुक्त, उपमहानिरीक्षक निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उपबिन्धक एवं जिला निबन्धक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसा कि, राज्य अधिकृत करे इण्टरनेट के माध्यम से सेन्ट्रल सर्वर से अभिगम स्थापित करेगे। ऐसे कार्यालयों द्वारा उचित इण्टरनेट संयोजन स्थापित किया जायेगा।

7.2 राज्य के अधिकृत अधिकारी (जैसा कि ऊपर 7.1 में वर्णित है)(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... द्वारा निर्गत यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए इण्टरनेट के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग सर्वर से अभिगम स्थापित करेंगे। प्रक्रिया के लॉगिन के पश्चात्, ऐसे अधिकृत अधिकारी, ई-स्टाम्पिंग-सर्वर से अभिगम स्थापित करके स्टाम्पित प्रमाण-पत्रों को परीक्षण करने में समर्थ होंगे।

7.3 उप निबन्धकों के कार्यालय अथवा ऐसे अन्य अधिकृत अधिकारी, लेखपत्रों के प्रस्तुतीकरण के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि संव्यवहार के लिए निबन्धित होने वाले लेखपत्रों पर स्टाम्प शुल्क की निर्धारित धनराशि का संदाय कर दिया गया है। उपनिबन्धक निबन्धन के लिए लेखपत्रों के प्रस्तुतीकरण पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग सर्वर में प्रक्रिया प्रारम्भ करके ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र को लॉक करेगा।

हार्डवेयर की आवश्यकता:-

8.1 ई-स्टाम्पिंग सर्वर के प्रयोग में उपयोक्ता द्वारा समुचित इण्टरनेट संयोजन के साथ(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक-संचालन-तन्त्र एवं लेजर प्रिन्टर्स सहित पेन्टियम-४ कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाना औचित्य पूर्ण होगा। कम्प्यूटर-सिस्टम्स का स्वरूप इण्टरनेट संयोजन लेजर-प्रिन्टर्से, बार कोड रीडर्स अथवा कोई अन्य हार्डवेयर के अवस्थापन में (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... के विनिर्देशों की पूर्ति निहित होनी चाहिए और जो बिना अग्रिम सूचना के परिवर्तन के अध्यधीन हो सकती है।

9. सामान्य बाध्यताएं :--

9.1 सभी ग्राहकों अथवा अनुमोदित मध्यवर्तियों द्वारा स्टाम्प शुल्कों के लिए किये गये एवं प्राप्त समस्त संदायों को(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... द्वारा प्रतिदिन अंकित किया जायेगा तथा क्रमशः निम्नलिखित एवं ऐसे अन्य रूप में, जैसा कि राज्य एवं(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... के मध्य पारस्परिक सहमति से सुनिश्चित किया जाय, राज्य को सूचित किया जायेगा-

(1) सम्प्रेक्षा—अन्वेषण रिपोर्ट्स — किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की शाखाओं / कार्यालयों के उपयोक्ताओं द्वारा अनुपालित प्रणाली पर आधारित समस्त कार्यवाहियों का पता लगाना,

(2) सरकार को देय से सम्बन्धित रिपोर्ट्स – किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत—संग्रह—केन्द्र की प्रत्येक शाखा/कार्यालय की संग्रह-रिपोर्ट,

(3) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के प्रमाण-पत्र की रिपोर्ट्स -किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की समस्त शाखाओं / कार्यालयों अथवा उनमें से किसी के लिए,

(4) लाक्ड ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की रिपोर्ट-

किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित समस्त उपनिबन्धकों अथवा उनमें से किसी के सम्बन्ध में,

किसी विनिर्दिष्ट दिन या अवधि से सम्बन्धित सरकार के खाता में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रेषणों का जनपदवार विवरण,

(6) निरस्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों की रिपोर्ट-

किसी विशिष्ट या सभी सहायक स्टाम्प आयुक्तों से सम्बन्धित किसी विर्निदिष्ट दिन या अवधि से सम्बन्धित (नियम 38 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट)

(7) प्रमाण पत्र उत्पादन रिपोर्ट:-

किसी विर्निदिष्ट दिन या अवधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी / सभी संग्रह शाखाओं / कार्यालयों के लिए उत्पादित ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की रिपोर्ट।

(8) वार्षिक स्टाम्प शुल्क संग्रह रिपोर्ट:--

केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण प्राधिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्दों की कोई / सभी संग्रह शाखाओं / कार्यालयों द्वारा संग्रहीत स्टाम्प शुल्क की वार्षिक रिपोर्ट।

(9) स्टाम्प शुल्क सदश संग्रह रिपोर्ट:--

जिसमें केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी/सभी संग्रह शाखाओं / कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष के लिखत सदृश मासिक स्टाम्प शुल्क संग्रह की श्रेणी प्रदर्शित होगी।

(10) स्टाम्प शुल्क लेखा की रिपोर्ट:--

केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी /सभी शाखाओं /कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष की स्टाम्प शुल्क संग्रह रिपोर्ट।

(11) कोई अन्य ऐसी रिपोर्ट या सूचना जिसकी समय—समय पर स्टाम्प आयुक्त द्वारा अपेक्षा की जाये।

9.2 राज्य सारणियों को बनायेगा तथा प्रदान करेगा जो, स्टाम्प शुल्क का संदाय करने हेतु दायित्वाधीन अनुमोदित मध्यवर्तियों अथवा ग्राहकों को किसी निर्दिष्ट लेखपत्र पर देय स्टाम्प शुल्क की उचित धनराशि सुनिश्चित करने में समर्थ बनायेगी और भी, राज्य, अचल सम्पत्तिसे सम्बन्धित लेखपत्रों के लिए संदाय की जाने वाली स्टाम्प शुल्क की धनराशि से सम्बन्धित आवश्यक सूचना भी, उनके विवरणों के आधार पर प्रदान करेगा। ऐसी प्रदत्त सूचना सरकार द्वारा, निबन्धन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या–16 सन ्1908) एवं स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या—2 सन् 1899) वर्तमान नियमों एवं विनियमों तथा समय—समय पर उनमें किये गये संशोधनों तथा ई-स्टाम्पिंग सर्वर में सरकार के साइट से संयोजन के अनुसार अद्यावधिक की जायेगी। ई-स्टाम्पिंग सर्वर में उपलब्ध करायी गई ऐसी सूचना ग्राहको / उपयोक्ताओं के दिशा-निर्देश के लिए होंगी तथा(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)......ऐसी सूचना की सत्यता के लिये उत्तरदायी नही होगी।

9.3 राज्य, यूजर आईडी एवं पासवर्ड के प्रयोग द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से ऑकडों पर पुनः अभिगम स्थापित करने में समर्थ होगा।

9.4(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... इन्टरनेट के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग सर्वर पर संकलित ऑकडां से राज्य को, प्रबन्धन-सूचना-तन्त्र एवं निर्णय समर्थन तन्त्र जैसा कि उपर प्रस्तर-9.1 में वर्णित है, से वांछित विवरण / सूचना के संग्रह के लिए समर्थ बनायेगी।

9.5 प्रबन्धन सूचना तन्त्र की अपेक्षा को और भी ठोस रूप दिया जा सकता है तथा पारस्परिक सहमति बनायी जा सकती है। सरकार समय-समय पर ई-स्टाम्पिंग प्रणाली में सूचना को अद्यावधिक करने के लिए मुख्य-सूचियों में किये गये किन्हीं परिवर्तनों को(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... को उपलब्ध करायेगी।

9.6 ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता एवं प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की पर्याप्तता के सम्बन्ध में परीक्षण करने का उत्तर दायित्व उपनिबन्धक / जिला-निबन्धक के कार्यालयों एवं ऐसे अन्य अधिकारियों का होगा, जैसा कि राज्य स्निश्चित करेगा।

10. राज्य के निबन्धक-कार्यालयों में कर्मियों का प्रशिक्षण-

10.1(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)..... 'प्रशिक्षक के समान प्रशिक्षित करने' की विधि पर आधारित तन्त्र के संचालन एवं प्रयोग का उपयुक्त एवं पर्याप्त प्रशिक्षण ऐसे सरकारी कर्मियों, जैसा कि सरकार नामित करें, को प्रदान करेगा।

	19
	10.2(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) द्वारा राज्य व परिसरों में प्रदत्त प्रशिक्षण राज्य द्वारा नामित व्यक्तियों के लिए प्रथम—बार निःशुल्क होगा, जो 10 तक की संख्य अथवा पारस्परिक रूप से सहमत ऐसे अन्य उससे अधिक संख्या के अधिकारियों के लिए हो सकता है।
	10.3(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) अवधारण बन सकती है कि प्रशिक्षण को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षु, आवेदन में वांछित कुशलता एवं ज्ञान व पूर्व—अपेक्षाओं को रखते हैं।
	10.4 सिस्टम के लिए प्रशिक्षण, जिस स्थान पर दिया जायेगा, उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जायेगा।(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) अधिकतम एक सप्ताह की अविध के लिए प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करेगा। संदेह के निवारणार्थ, सरकार समस्त आवश्यक सुविधाओं (प्रथमवार के लिए जैसा कि प्रस्तर 10.2 में वर्णित है, के सिवाय), प्रशिक्षण को कराने के लिए अपेक्षित उपकरण एवं परिसरों तथा यात्रा, निवास—स्थान एवं जीवन—निर्वाह व्ययों की व्यवस्था करने एवं प्रदान के लिए उत्तरदायी होगी।
	10.5(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) एवं राज्य द्वारा पारस्परिक रूप से विनिष्टिचत आविधक अन्तरों में,(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) तन्त्र में किसी उच्चीकरण, परिवर्तनों के विषय में अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
	10.6(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) द्वारा अनुमोदित मध्यवर्ती अथवा अन्तिम उपयोक्ता को दिये गये प्रशिक्षण पर व्यय की गई धनराशि अनुमोदित मध्यवर्ती पर पृथक् रूप से आरोपित की जायेगी।
	11. <u>अवधि</u>
1	11.1 यह अनुबन्ध, निम्नोल्लिखित प्रभावी दिनांक से प्रारम्भ में 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसके पश्चात्, मक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। राज्य, यदि, वैसा समझता है, तो 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के पश्चात् ई—स्टाम्पिंग प्रणाली के प्रयोग को स्वीकार करने में स्वतन्त्र होगा और/अथवा व्यारस्परिक करार पर आधारित
7	1.2 राज्य द्वारा ई—स्टाम्पिंग के प्रयोग को स्वीकार किये जाने पर,(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) से नियुक्ति की अविध में जिनत ऑकडा को राज्य को अन्तरित करने के लिए अपेक्षा की जायेगी। केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्, श्चातवर्ती अपने व्यापार अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए नियुक्ति की अविध में जिनत ऑकडा को किसी भी कार से न तो प्रयोग करेगा अथवा न प्रयोग करायेगा।
1	1.3(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) राज्य के बिना

12. प्रभावी तिथि—

को प्रदान, अन्तरण अथवा अंश—भागी नहीं करेगा।

यह अनुबन्ध पक्षकारों द्वारा उनके हस्ताक्षर की तिथि अथवा ऐसी अन्य तिथि जैसा कि राज्य द्वारा नियत की जाय, से प्रभावी होगा, जो एतत्पश्चात 'प्रभावी तिथि' कही गई है। पाँच वर्ष की अवधि की गणना प्रभावी तिथि से की 2 जायेगी।

लिखित आदेश अथवा प्राधिकार के अपने द्वारा ग्रहीत ई-स्टाम्पिंग परियोजना से सम्बन्धित हार्डवेयर, साफ्टवेयर या कोई अन्य तकनीकी विवरणों को यथा विधि नियुक्त प्राधिकृत सँग्रह केन्द्र के सिवाय राज्य में किसी भी व्यक्ति

13.	21-		-	г
13.	01,	144	11	_

राज्य के लिए, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप मे(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अ	भेक्तरण	ch
रूप में नियुक्त कम्पना का नीम) की नियक्ति अनन्य होगी तथा हम अनवस्थ की वैधना की	ानिक .	4
अन्दर, राज्य, ई-स्टाम्पिंग के लिए किसी दूसरे केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति नहीं व	क्ररेगा।	4,

14. प्राधिकृत सँग्रह केन्द्र को परिवर्तित किया जाना-

नियुक्ति की प्रारम्भिक अथवा नवीनीकृत अवधि की समाप्ति के पश्चात्, राज्य, राज्य के किसी भाग या सम्पूर्ण भाग के लिए ई—स्टाम्पिंग की सेवाओं / सुविधाओं को अपने पसन्द की किसी भी अभिकरण से प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप मे नियुक्त कम्पनी का नाम)......को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

15. सरकार का उत्तर दायित्व-

सरकार अपने नियन्त्रणाधीन समयानुसार, समस्त सूचनाओं, कृत—निर्णयों एवं अनुमोदनों तथा उपनिबन्धक—कार्यालयों में वांछित संसाधनों, जो इस अनुबन्ध के अनुपालनार्थ समय—समय पर युक्ति—युक्त रूप से अपेक्षित हो, को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगी। सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि सरकार द्वारा ऐसी सूचना, कृत निर्णय और अनुमोदनों को प्रदान करने मे कोई विलम्ब, इस अनुबन्ध के क्रियान्वयन में विलम्ब कारित कर सकता है।

16. माध्यस्थम् ;।तइपजतंजपवदद्ध

17.1 इस अनुबन्ध के अधीन पक्षकारों के मध्य समस्त विवाद एवं मतभेद, जहाँ तक सभ्भव है, सुचारू रूप से निस्तारित किये जायेंगे तथा उसके असफल होने की स्थिति में, समस्त ऐसे विवाद भारतीय माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 (अधिनियम सँख्या 26 सन् 1996) के प्राविधानों के अधीन माध्यस्थम् को सन्दर्भित किये जायेंगे।

17.2 माध्यस्थम् का स्थान देहरादून में होगा।

साक्षी के रूप में उपस्थित पक्षों ने इस अनुबन्ध-पत्र को, प्रथम इसमें लिखित दिन एवं वर्ष को निष्पादित किया है।

हस्ता	क्षरित, मुद्राकित एवं परिदत्त
द्वारा .	राज्य के राज्यपाल, माध्यम से (द्वारा) श्री
उभय	पक्षों ने (निम्नलिखित साक्षियों) की उपस्थिति में—
(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	पता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
0)	पता

हस्ता	भरित, मुद्राकित एवं परिदत्त
द्वारा	अर्न्तनामित (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम)
	(माध्यम से) इसके अधिकृत अधिकारी श्री
	पक्षों ने (निम्नलिखित साक्षियों) की उपस्थिति में—
(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	чता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
2	पता
-	

प्रारूप-2

(देखें नियम 6 (2))

वचन—बंध सह क्षतिपूर्ति—बन्ध—पत्र	
यह क्षतिपूर्तिबन्ध	कृत क्षण का
राज्यपाल उत्तरप्रदेश द्वारा आयुक्त स्टाम्प उत्तराखण्ड, देहरादून (जो एत्त्पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट (जब तक प्रकरण अथवा उसके अर्थ में विरोधाभास न हो उसकी अभिव्यक्ति का अर्थ होगा एवं उसमें उ प्रतिनिधि, समनुदेशिती उत्तराधिकारी आदि शामिल होंगे) के पक्ष में किया गया है।	है) नके
जबिके—	
1. राज्य द्वारा(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रुप में नियुक्त कम्पनी का नाम) की नियुक्ति ''केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण'' के रूप में कार्य करने हेतु की गई है और प्रकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन्, 1899) के अधीन जनता द्वारा सरव को इसकी शाखाओं / कार्यालयों एवं राज्य में स्थित प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों के माध्यम से न्यायिके स्टाम्पशुल्क के संदाय को अंकन करने के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को राज्य स्टाम्प शुल्क—प्रशासन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए ई—स्टाम्प—प्रमाण—पत्रों को निर्गत करने अधिकृत किया गया है।	इस हार तर
2. और, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण विधि द्वारा अपेक्षित समस्त शर्तों की पूर्ति के लिए त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा इसके प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों द्वारा कारित कुक्रियाशील कदाचार, उपेक्षा अथवा किसी भी प्रकार की अनियमिता जो हो के कारण सरकार द्वारा गाउन की	ता

- समस्त अथवा किसी क्षति के विरूद्ध वचनबद्ध होने एवं क्षतिपूर्ति करने के लिए भी सहमत है।
- और, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाणपत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली 2009 (जिसे एतत्पश्चात् 'नियमावली' कहा गया है) एवं इस नियमावली के अधीन सरकार अथवा विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों में विहित निबंधनों एवं शर्तों के परिपालन एवं अनुपालन के लिए सहमत है।
- केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण उपर्युक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा तथा सरकार को वचन देने एवं क्षतिपूर्ति के लिए इस क्षतिपूर्तिबन्ध-पत्र का निम्नवत् निष्पादन कर रहा है:-


सम्प्रति, अतः, बचन-बंध सह क्षतिपूर्तिबन्ध का यह विलेख निम्नवत् साक्ष्यित है'-

(क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एतद्द्वारा वचन—बद्ध होता है कि ई—स्टाम्पिंग केन्द्र (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं इसके यथाविधि नियुक्त प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों) की शाखाएँ / कार्यालयों) नियमावली के नियम 39 में वर्णित किसी अधिकारी अथवा एतन्निमित्त स्टाम्प आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी युक्ति—युक्त अवधि में बिना सूचना के उपलब्ध रहेंगे। केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित में बिना पूर्व अनुमति के, प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों को न परिवर्तित करने अथवा न वृद्धि करने का भी दायित्व भू ग्रहण करता है।

- (ख) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण निरीक्षण—अधिकारी को जैसा कि खण्ड (क) में वर्णित है, किसी भी समयाविध से सम्बन्धित स्टाम्प शुल्क के संग्रह एवं प्रेषण विषयक किसी इलेक्ट्रानिक अथवा अंकीय अभिलेख की कोई सूचना अथवा नियमावली के नियम 57 के अधीन कोई अन्य सूचना माँगे जाने पर बिना अयुक्ति—युक्त विलम्ब के साफ्ट एवं/अथवा हार्ड प्रति पर प्रदान करने हेतु दायित्वाधीन है।
- (ग) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण समस्त निबंधनों एवं शर्तों, जैसा कि इस नियमावली के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय—समय पर सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जायें, के पालन के लिए दायित्व ग्रहण करता है।
- (घ) जैसा कि नियमावली के नियम 20 में वर्णित हैं, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अनुबन्ध में यथा सुनिश्चित कटौती की धनराशि को कम करके अपने कार्यालयों / शाखाओं एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों द्वारा संग्रहीत स्टाम्प शुल्क की संकलित धनराशि को स्टाम्प शुल्क के संग्रह के दिन के के पश्चात दो दिन की अविध के अन्दर राज्य के ''0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क—02 स्टाम्प न्यायिकेतर'' कोषागार लेखा के शीर्षक में प्रेषित करने का दायित्व ग्रहण करता है,
- (ड.) जैसा कि नियमावली के नियम 45 में वर्णित हैं, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण यह दायित्व ग्रहण करता है कि यदि, वह नियमावली के नियम—20 में वर्णित अविध के अन्दर स्टाम्प शुल्क की धनराशि को प्रेषित करने में विफल रहता है तो केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण स्टाम्प शुल्क की संग्रहीत धनराशि के साथ विलम्ब की अविध के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मानकों के अनुसार संगणित ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा। ऐसी संगणना के प्रयोजन के लिए दिन का कोई भाग 'एक दिन' के रूप में माना जायेगा।
- (च) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण सूचना—विवरणों जैसा कि इस नियमावली के नियम 57 में उपवर्णित है, को, स्टाम्प आयुक्त एवं किसी अथवा ऐसे समस्त अधिकारियों जैसा कि वह, निर्देशित करें, को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
- (छ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण यह दायित्व ग्रहण करता है कि इसका कोई कर्मचारी अथवा इसके प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों के कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के निर्गम द्वारा सरकार के लिए स्टाम्प शुल्क के संग्रह हेतु प्राधिकार का न तो दुरूपयोग करेंगें अथवा न करायेंगे।
- (ज) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एतद्द्वारा जैसा कि इस नियमावली के नियम 47 में प्राविधानित है, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या इसके प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों द्वारा कारित किसी कार्य, चूक, अतिक्रमण, कुसंचालन, कदाचार, उपेक्षा अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता जो हो, से उत्पन्न होने वाले समस्त या किसी क्षति या किसी तृतीय पक्ष के जोखिम के लिए सरकार को सदैव क्षतिपूर्ति करने हेतु दायित्व ग्रहण करता है।

साक्षी के रूप में उपस्थित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण ने इस वचन—बद्ध / क्षतिपूर्तिबन्ध - पत्र को इसमें प्रथम ऊपर लिखित दिन एवं वर्ष को निष्पादित किया है

हस्ताक्षरित, मुद्राकित एवं परिदत्त		
(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रुप में नियुक्त कम्पनी का नाम)एवं की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में श्री	के	लिए
उभय पक्षों ने (निम्नलिखित साक्षियों) की उपस्थिति में-		
(1) हस्ताक्षर		
नाम		



(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
,	पता
*	

<u>प्रारूप-3</u> (देखें नियम 21)

_0		7	₹-₹	टाम्पिंग—3	गावेदन—प्रा	रूप				
प्राधिकृत					ोकृत					•
संग्रह केन्द्र	10 mg 2 mg				केन्द्र					
					आईडी					
			e 1		11201					
2112	- A -	N. C. S. C.					× .			
आवेदन क	। दिनाक	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	/	(√ abv	सी एक के	निशा	न लगार	वे)		
	1 - 1	/200			न्धनीय					
विलेख का	1									
विवरण				स्टाम	न शुल्क	रूपये				
199(*)				की ध	वनराशि					
			Participation of	सम्पत्ति क	ा तित्रज्ञा					
					त का प्रति	Unat	रूपये	•		
	1				VI 471 XIV	17/01	(949			
			Я	थम पक्ष व	ग विवरंण					
नाम		of the second								
पता					1					
		111111111111111111111111111111111111111		-					- 10.3	
दूरभाष					पिनक	ोड				
				^						
नाम			द्वि	तीय पक्ष व	ग विवरण		- 1			
पता					17					
दूरभाष					पिनक	ਹਿਵਾਂ ਹਿਵਾਂ				
					1114	10				
			स्टाम्प शु	ल्क के संव	दाय का वि	वरण				
स्टाम्प शुल्क	क्रय									
किया गया										
स्टाम्प शुल्क		🗆 प्रथम पक्ष	□ द्वितीय	पक्ष (√ि	केसी एक	को नि	शान लग	गार्थे)		0.30
किया गया										
स्टाम्प शुल्क ध	वनराशि	रूपये—		संदाय	की विधि		नकद ।	🗆 चैक		
						- 1	डिमाण्ड			
							पे–आर्ड			
चैक / डिम	ाण्ड						नांकः	/	-	
ड्राफ्ट/ पे-	आर्डर					20		/	/	
संख्या						20				
बैंक का न				शाखा	का नाम					
इस प्रारूप में व	दी गई र	नूचना भलीभाँति	मेरे संज्ञान	में है तथा	शुद्ध, पूण	्रिवं र	सत्यतः ३	प्रभिक्ष	यत है	1
पक्षकार / प्रतिनि	गय का	नास:					ह	स्ताक्षरः		
			(केवल कार	र्यालय के	पर्योग के	المسر) المسرا				

	Y	उपयोक्ता	
एस.यू.बी.			
आई.एन.	Live Car		f day and the same of the same
हस्ताक्षर			
		पर्यवेक्षक	
प्रमाण पत्र आई. संख्या एन.			
हस्ताक्षर			
	Fance Commence		
स्टाम्प प्रमाण-पत्र प्रा	प्त नामः	हस्ताक्षरः	
किया गया द्वारा	The part of the		
%	*	*	
स्टाम्प शुल्क क्रय किया गया द्वारा		ई-स्टाम्पिंग रसीद स्टाम्प शुल्क अदा किया गया द्वारा	(ग्राहक द्वार □ प्रथम पक्ष □ द्वितीय पक्ष
स्टाम्प शुल्क की	रूपये—	अदायगी की विधि	□ नकद □ चैक
धनराशि			□ नकद । चक □ डिमाण्ड ड्राफ्ट □ पे—आर्डर
चैक्/ डिमाण्ड ड्राफ्ट			दिनांकः / /
/ पे-आर्डर संख्या			200
बैंक का नाम		शाखा का नाम	
	ताक्षर		
मोहर के साथ प्रति हर			
टेप्पणी— एक बार स्ट	ाम्प प्रमाण-पत्र के	जनित कर दिये जाने के पश्च	ात, केन्द्रीय अभिलेख अनरक्षर
टिप्पणी— एक बार स्ट द्वारा भुगतान को निरु	ाम्प प्रमाण-पत्र के स्त अथवा वापस न	जिनत कर दिये जाने के पश्च हीं किया जा सकता है। निरस् मिस्पर्क करने की आवश्यकता	तीकरण देन गाना गागकात ह

27 <u>प्रारूप-4</u> (देखें, नियम 27) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लिए आवेदन

THE COLUMN THE PARTY OF THE PAR		डे अक्षरों में भरा जाय)	
निबन्धित			□ अनिबन्धित
	(कृपया, जो त	नागू हो, उसे 🗸 निशान ल	व्यामे
प्राधिकृत सँग्रह केन्द्र	प्राधिकृत सँग्रह केन्द्र	आवेदन की रसीद का	
का नाम	का कोंड	दिनांक एवं समय	मूल प्रमाण-पत्र संख्या
	Car - Course 1	14 1147 74 7144	
	भाग-कः स्टाम्पिंग के	लिए विलेख का विवरण	
		गा । गा । गा । गा । गा ।	
विलेख का विवरण		मूल प्रमाण- पत्र के	₹50-
		स्टाम्प शुल्क की	(70
		धनराशि	
		अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	150
		की धनराशि	₹0-
THE PARTY		अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	श्री
		अदा द्वारा	ત્રા
AND LOCAL		जाया क्षारा	
OTTE TE	ममानि का विकास दिया	के सम्बन्ध में अतिरिक्त स्ट	
4141-64:			
नाग-खः	थटा कि	क सम्बन्ध म आतारक्त स्त	राम्प शुल्क
माग—ख:	अदा कि	या गया है	राम्प शुल्क
साग-ख:	अदा कि	क सम्बन्ध म आतारक्त स्ट या गया है पत्रों के लिए) रु	राम्प शुल्क
	अदा कि	या गया है	राम्प शुल्क
पता पॅक्ति–1	अदा कि	या गया है	राम्प शुल्क
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2	अदा कि	या गया है	राम्प शुल्क
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3	अदा कि	या गया है पत्रों के लिए) रु	राम्प शुल्क
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4	अदा कि (निबन्धित लेख	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड	
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	ion
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा (जो भी अधिक हो) (रू०)	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	ion
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा (जो भी अधिक हो) (रू०)	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	ion
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा (जो भी अधिक हो) (रू०)	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	io
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा (जो भी अधिक हो) (रू०)	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	io
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा (जो भी अधिक हो) (क्त0) नाम पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	io
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा (जो भी अधिक हो) (रू०) ——— नाम पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	io
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य / बाजा (जो भी अधिक हो) (रू०) नाम पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पैन—संख्या (रु० 50,000	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	io
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य / बाजा (जो भी अधिक हो) (क्त0) नाम पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पैन—संख्या (रु० 50,000 से अधिक राशि की दशा	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	io
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा (जो भी अधिक हो) (रू०) ————————————————————————————————————	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	io
पता पॅक्ति—1 पता पॅक्ति—2 पता पॅक्ति—3 पता पॅक्ति—4 प्रतिफल का मूल्य/बाजा (जो भी अधिक हो) (रू०)	अदा कि (निबन्धित लेख री मृल्य	या गया है पत्रों के लिए) रु पिन कोड विलेख का दिना	ion

भाग-गः	विक्रेता/अन्तरक/समनु	देशक/प	28 गक्षकार / पक्षकारों	का विवरण ऊ
नाम			,	11 144(-) (
पता पॅक्ति-1				
पता पॅक्ति-2				
पता पॅक्ति–3				
पैन-संख्या (एच्छिक)				•
सम्पर्क फोन		13 34 36		
नम्बर			पिन कोड	
March 1				
नाम				
पता पॅक्ति-1				
पता पॅक्ति-2	av Santin um um 1		CONTRACT POST	
पता पॅक्ति-3				
पैन-संख्या (एच्छिक)				
सम्पर्क फोन			पिन कोड	
नम्बर			ापन काड	
भाग	ı—घः अतिरिक्त स्टाम्प श्	लक के वि	लेए संदाय का वि	aguir
	1 No december 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		रार् संयाय प्राप्त	1444
संदाय की विधि	प्रदत्त धनराशि (रू.)	चैक /	डिमाण्ड	बैंक का नाम/शाखा
		ड्राफ्ट /	/पे आर्डर	वया या नान/शाखा
		संख्या	एवं दिनांक	
□ नकद	रू. (अंकों में)			
□ चैक '				
□ डिमाण्ड ड्राफ्ट '	(शब्दों में)			
□ पे-आर्डर '				

रु कृपया मल प्रमाण-पन	। पर दर्षित गणकाने 🕹		0 %	
रु कृपया मूल प्रमाण—पत्र ' विलेख से सम्बन्धित वर	मली के अध्यक्षीन ।	पक्षकार—	विवरणों की यथा	वत प्रविष्टि कीजिए
इस प्रारूप में दी गई सूच	ाना, मेरे भलीभॉति संजान	में दे क	on and	
		4 6 (14	या शुद्ध, पूर्ण एव	सत्यतः अभिकथित है।
पक्षकार / प्रतिनिधि का ना	म			
पक्षकार/प्रतिनिधि का हर	ताक्षर/			
अंगुष्ठ चिन्ह				
	(केवल कार	र्गालय के	प्रयोग के लिए)	***************************************
*			जॉच किया गर	॥ स्व
में सत्यापित करता हूं कि	आवेदन-प्रारूप क्रम में है	1		
नाम— कर्मचारी—कोड—			प्रविष्ट किया ग	या द्वारा
कनवारा—काड— हस्ताक्षर—			प्रमाणित किया	गया दारा
दिनांक—				ואן מועו
117			यू आई एन	
			एस.यू.बी.आई.	एन.
X	%			

29 स्वीकृति—पर्ची (ग्राहक)

(पक्षकार) द्वारा भरा जाए)

विशिष्ट व विलक्षण पहचान-संख्या-

एस.यू.बी.आई.एन.

श्री / कु0 / मैसर्स से प्राप्त किया	संदाय का माध्यम	प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि (रू.)	चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे–आर्डर संख्या	प्रतिहस्ताक्षर, दिनांक एवं
	□ नकद□ चैक '□ डिमाण्ड ड्राफ्ट'	रू. (अंकों में) रू. (शब्दों में)	विनांक बैंक	मुहर
	□ पे–आर्डर '		शाखा	

' विलेख से सम्बन्धित वसूली के अध्यधीन।

प्रारूप–5 (देखें नियम 36) ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र के निरस्तीकरण एवं वापसी के लिए आवेदन

प्राधिकृत	प्राधि	कृत सँग्रह केन्द्र
संग्रह केन्द्र		की आईडी
नाम		
आवेदन का दिनांक		/ /200
जापदम का दिमाक	.	/ / 200
निरस्त	ोकरण एवं वापसी के लिए ए	ास्तुत ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के विवरण
प्रमाण-पत्र संख्याः	א צואן יר וואון די דין די אירו	
आईएन		
प्रमाण-पत्र के निर्गम की वि	तेथि	/ /200
	प्रथम—पक्ष	त का विवरण
नाम		
पता		
दूरभाष	0.0	
	द्वितीय-प	क्ष का विवरण
नाम		
पता		
T m m		
दूरभाष		
निरस्तीकरण एवं वापसी के	लिए आवेदन करने वाले व	वित के विवरण (उचित विकल्प पर चिन्ह लगाइये)
प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	अधिकृत प्रतिनिधि '
71111	143117 131	
यदि अधिकृत प्रतिनिधि वाप	ासी के लिए आवेदन कर रह	ग है, तो उसका विवरण '
नाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
पता		
दूरभाष		
वह प्रतिनिधित्व कर रहा	है— प्रथम पक्ष को	द्वितीय पक्ष को
(चिन्ह लगाइये)		
ं यदि अधिकृत प्रतिनिधि इ	-स्टाम्प-क्रेता की ओर से	वापसी के आवेदन को प्रस्तुत कर रहा है, तो, इस
के साथ नोटरी पहिलक ट	ारा यथा विधि साक्षित एवं	अनप्रमाणित दस रूपये के न्यायिकेतर स्टाम्प-क

गावेदन ज पर क साथ नाटरा पांब्लक द्वारा यथा विधि साक्षित एवं अनुप्रमापि केता द्वारा निष्पादित प्राधिकार—पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

स्टाम्प शुल्क के संदाय का विवरण

न्यायिकेतर ई-स्टाम्प		००	917
	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	
प्रमाण-पत्र क्रय किया गया			
द्वारा			
स्टाम्प शुल्क की धनराशि	ক0	संदाय का माध्यम	नकद/चैक/ डिमाण्ड
			ब्राफ्ट / पे—आर्डर / इलेक्ट्रोनिक
			क्लियरिंग सिस्टम/रियल
			टाइम ग्रॉस सैटिलमेण्ट
चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे			दिनांकः / /200
आर्डर इलेक्ट्रोनिक			7 / 200
क्लियरिंग सिस्टम/रियल			
टाइम ग्रॉस सैटिलमेण्ट की			
संख्या / विवरण			
बैंक का नाम		शाखा का नाम	

इस आवेदन में दी गई सूचना शुद्ध, पूर्ण एवं सत्यतः अभिकथित है।

प्रमाण-पत्र के क्रेता का हस्ताक्षर /

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण/ प्राधिकृत सँग्रह केन्द्र के निर्गमन/ अभिहित अधिकारी की रिपोर्ट

प्राधिकृत सँग्रह केन्द्र के अभिलेखों से ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के विवरणों का सत्यापन कर लिया गया है। ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के डाटाबेस में कथित प्रमाण-पत्र को निर्योग्य नहीं किया गया है। सत्यापन का यह प्रमाण-पत्र, कथित प्रमाण-पत्र पर भी पृष्ठािकत है। प्रमाण-पत्र में वर्णित स्टाम्प शुल्क की धनराशि की वापसी की संस्तुति की जाती है।

केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण/ प्राधिकृत सँग्रह केन्द्र के निर्गम/ अभिहित अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

सहायक आयुक्त—स्टाम्प की रिपोर्ट ई—स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के डाटाबेस में ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र सत्यापित एवं निरस्त किया गया।

सहायक आयुक्त स्टाम्प का हस्ताक्षर एवं मुहर

कलेक्टर के कार्यालय के प्रयोग के लिए

स्टाम्प-लिपिक की रिपोर्ट-

,वापसी से सम्बन्धित कलेक्टर का आदेश—

कलेक्टर का हस्ताक्षर पवं मुहर

संलग्नक-1 (देखें नियम-39) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों के निरीक्षणों एवं सम्प्रेक्षा की अनुसूची

क्रमांक	प्राधिकारी/अभिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार	निरीक्षण की आवृत्ति	निरीक्षण के बिन्दु	रिपोर्ट (विवरण) किसे प्रस्तुत की जाय
1	2	3	4	5	6
1.	कलेक्टर	जनपद के अन्दर	वार्षिक	सामान्य कार्यकलाप, जनता की शिकायतें	स्टाम्प आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	जनपद के अन्दर	छमाही	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की रिपोर्ट से कोषागार की प्रेषण—विवरणों का मिलान करना	स्टाम्प आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
3.	उपायुक्त स्टाम्प	निबन्धन— परिक्षेत्र के अन्दर	तिमाही	परिक्षेत्र के प्रत्येक जनपद में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की प्रेषण रिपोर्ट्स से केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा कृत संग्रह एवं कोषागार के प्रेषण—विवरणों का सत्यापन करना	स्टाम्प आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
4.	सहायक स्टाम्प आयुक्त	जनपद के अन्दर	मासिक	जनपद के कोषागार से यथा प्राप्त, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के प्रेषण अंकों से उप निबन्धक कार्यालयों के ई—स्टाम्पों से आय के अंकों का मिलान करना	स्टाम्प आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून
5.	तकनीकी एवं वित्तीय कार्य में निपुण व्यक्ति /अधिकरण	सम्पूर्ण प्रदेश	तिमाही	(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा सरकार को कृत प्रेषणों से केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं अधिकृत सॅग्रह केन्दों द्वारा सम्पूर्ण संग्रहों, तथा (2) ई— स्टाम्पिंग प्रणाली के लेखा के तकनीकी कार्यो एवं औचित्य, को सत्यापित करना	स्टाम्प आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून
6.	महालेखाकार उ०प्र0 इलाहाबाद	सम्पूर्ण प्रदेश	वार्षिक	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्राप्तियों एवं प्रेषणों की तकनीकी सम्प्रेक्षा	महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO. /2011 / XXVII(9) / Stamp-42 / 2008 dated 2011 for general information.

Uttarakhand Shasan VITTA ANUBHAG-9 NO. /2011 / XXVII(9)/ Stamp-42 / 2008

Dehradun :: Dated: :

, 2011

Notification

Whereas to remove the difficulties and shortcomings in the present system of supply and sale of Stamps the State Government after considering the aspect of losses of the Government revenue by use of fake and bogus stamps has decided to implement Computerized Stamp duty Administration System for supply and sale of Non Judicial Stamp in the State to;

(a) prevent the use of paper and processes resulting in fraudulent practices;

(b) set up a consumer friendly, secured and reliable Stamp duty collection mechanism; and

(c) ensure storage of information in secured electronic Form and building up of a central data repository to facilitate easy verification and generation of Management Information System and the Decision Support System reports.

Now therefore in exercise of the powers under section 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 read with sub section (26) of section 2, of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules to regulate the payment of stamp duty by issue of estamp certificates-

THE UTTARAKHAND STAMP (PAYMENT OF DUTY BY MEANS OF E-STAMP CERTIFICATES) RULES, 2011

	PART- I - Preliminary
Short title and	1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Stamp (Paymen
commencement	of Duty by Means of E-Stamp Certificates) Rules, 2011.
	(2) They shall come into force with effect from the date of their
	publication in the Gazette.
Definitions	2. (1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject
	or context
	(a) "Act" means the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899), as
	amended from time to time;
	(b) "Agreement" means the agreement executed between the
	Appointing Authority and the Central Record keeping Agency
	describing the terms and conditions of appointment of the Central
	Record keeping Agency;
	(c) "Appointing Authority" means the Government or any other
	officer not below the rank of Commissioner of Stamps, authorised
	by the Government in this behalf by notification in the Gazette;

	(d) "Approved Intermediaries" means the Central Record keeping Agency and the Authorised Collection Centres including all its offices and branches as appointed with the prior approval of the Government to act as an intermediary between the Government and the Stamp duty payer for collection of Stamp duty under these rules;
	(a) "Authorized Collection Control" 1.11
	(e) "Authorised Collection Centre" shall mean an agent appointed
	by the Central Record keeping Agency, with the prior approval of
	the Government, to act as an intermediary between the Central
	Record-keeping Agency and the Stamp duty payer for collection of
	Stamp duty;
	(f) "Central Record - keeping Agency" shall mean an agency
	appointed by the Appointing Authority for computerization of
	Stamp duty Administration System in the State or in such places of
8	the State as may be determined from time to time by the Appointing
	Authority;
	(g) "Commissioner of Stamps" means the Inspector General
	registration performing the functions of the Commissioner of
	Stamps;
	(h) "Department" means the Stamp and Registration Department,
	Government of Uttarakhand;
	(i) "e-Stamp" means an electronically generated impression on
	paper to denote the payment of Stamp duty;
	(j) "Form" means a Form appended to these rules;
	(k) "Government" means the State Government of Uttarakhand,
	(I) "Grievance Redressal Officer" means an officer of the
,	department, not below the rank of Assistant Commissioner of
	Stamps, authorised by the Commissioner of Stamps;
	(m) "Stemp Duty" many non-indicial stems 1 to 11
	(m) "Stamp Duty" means non-judicial stamp duty payable under Schedule
	(n) Treasury: Treasury means the treasury of a State which
	includes sub-treasury.
	(2) Words and expressions not defined in these rules shall have the
	same meanings respectively assigned to them in the Indian Stamp
	Act 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time and the
	Registration Act 1908 (Act no. 16 of 1908).
,	PART- II - Central Record -keeping Agency
Eligibility	3. Any Public Financial Institution, Indian Scheduled Bank, Body
criteria for	Corporate engaged in providing depository services or any body
appointment of	corporate where not less than 51 per cent of equity capital is held by
Central Record-	any of the entities mentioned above -either individually or in
keeping Agency	consortium – will be eligible for appointment as Central Record-
	keeping Agency.
Appointment of	4. The Appointing Authority shall select and appoint on contract
Central Record-	basis a suitable agency to function as Central Record- keeping
keeping Agency	Agency for the State to implement the Computation of Ch
Pand rightly	Agency for the State to implement the Computerization of Stamp
	duty Administration System in specified places of the State as
	declared by him from time to time, by adopting any of the measures
	mentioned below -

	(a) on the basis of recommendations (if any) of the Central	
	Government regarding appointment of Central Record-keeping	
	Agency, issued from time to time; or	
	(b). by inviting technical and commercial bids through a duly	
Term of	constituted Expert Selection Committee.	
appointment	5. The term of the Central Record-keeping Agency appointed under	
Central record-	these rules shall be five years.	
keeping Agency	6. (1) The Central Record-keeping Agency appointed under rule 4	
to execute	shall enter into an Agreement in Form-1 with the Appointing Authority;	
Agreement and		
Undertaking	(2) The Central Record-keeping Agency shall alongwith the	
and Indemnity	Agreement referred to in sub-rule (1) execute an Undertaking and Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Agreement in the Agreement and Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Agreement in the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Agreement in the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Agreement in the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Form 2 in favour of the Indemnity Bond in Indemnity Bond	
Bond	Indemnity Bond in Form-2 in favour of the Appointing Authority.	
Termination of	7 (1) Notwithstanding the provisions of mle 5 th	
appointment of	7. (1) Notwithstanding the provisions of rule 5 the appointment of the Central Record-keeping Agency may be terminated earlier, on	
Central Record-	the ground of any breach of obligation, financial irregularity or for	
keeping Agency	any other sufficient reason;	
	(2) However, the decision to terminate the appointment will be	
	taken only -	
	(a) after the Central Record-keeping Agency has been given a three	
	months show-cause notice specifying the details of grounds under	
	sub-rule (1) and,	
	(b) after the Central Record-keeping Agency has been given a	
	reasonable opportunity of being heard and,	
	(c) after the explanation offered by the Central Record-keeping	
	Agency has not been found to be satisfactory or,	
	(d) if the Central Record-keeping Agency in case of breach of	
	obligation, fails to cure the breach within three months period from	
	the date of show-cause notice.	
	(3) If the basis on which the Appointing Authority has decided to	
	terminate the appointment is such that it has also caused loss of	
	revenue to the State, the Central Record-keeping Agency shall be	
	bound to pay the complete amount of revenue loss, in addition to	
	such amount of penalty as may be imposed by such authority;	
	(4) The amount of penalty that may be imposed under sub-rule (3)	
	will not exceed twice the amount of loss of revenue;	
	(5) Before deciding the amount of compensation and penalty under	
	sub-rule (3), the Central Record-keeping Agency will be given a	
Renewal of	reasonable opportunity of being heard by the appointing authority.	
appointment of	8. (1) The application for renewal of appointment of the Central	
Central Record-	Record- keeping Agency will be made to the Appointing Authority	
keeping Agency	at least three months before the expiry of the running term of appointment,	
	(2) The Appointing Authority may, before taking decision on the application for renewal of the appointment of the Central	
	on the application for renewal of the appointment of the Central Record-keeping Agency, call for any information or record from	
	the department or the Central Record-keeping Agency or the	
	are department of the Central Record-Recepting Agency of the	

Authorised Collection Centres or any other person or body,

(3) On being satisfied about the suitability of renewal, the appointing authority shall renew the term of appointment,

(4) If the Appointing Authority decides to renew the appointment, a fresh Agreement referred to in rule 6 (1) and "Undertaking and Indemnity Bond" referred to in rule 6 (2), will be executed with suitable amendments, if any,

(5) The Appointing Authority shall have power to refuse the renewal of the term of appointment for reasons to be recorded in writing.

PART-III - Duties of the Central Record keeping Agency

Duties of Central Recordkeeping Agency

- 9. The Central Record-keeping Agency shall be responsible for-
 - (a) creating need based infrastructure, hardware and software in designated places in consultation with the Government and its connectivity with its main server;
 - (b) creating need based software in the offices of Sub-Registrars, Assistant Commissioner of Stamps, Commissioner of Stamps and at authorised collection centers (the point of contact for payment of Stamp duty), within the State or in such places of the State as specified from time to time by the Appointing Authority;
 - (c) training the identified manpower/ personnel of the department;
 - (d) role of facilitation in selection of authorised collection centers for Stamp duty;
 - (e) role of coordinator between the authorised collection centers (banks, etc.) and the offices of the Sub-Registrar, the Assistant Commissioner of Stamps, or the Commissioner of Stamps;
 - (f) collection of Stamp duty and remitting it to the Account of the State in accordance with these rules; preparing and providing various reports as required under these rules and as required by the Appointing Authority from time to time.

Discount allowable to the Central Recordkeeping Agency

Specification of software to be used by Central Record-keeping Agency

- 10. The Central Record-keeping Agency will be entitled to such agreed percentage of discount on the amount of Stamp duty collected by Approved Intermediaries, as may be decided by the terms of Agreement.
- 11. (1) The Central Record-keeping Agency will have to use such software that the following minimum details are shown on the estamp certificate—
 - (a) Distinguished Unique Identification number of the Certificate so that it is not repeated on any other certificate during the lifetime of the e-stamping system,
 - (b) date and time of issue,
 - (c) amount of Stamp duty paid through the certificate in

5 words and figures, name of the purchaser of the e-stamp, (d) (e) names of the parties to the instrument, (f) description of the instrument on which the Stamp duty is intended to be paid, (g) description of the property (if any) which is subject matter of the instrument, code, location and district of the issuing branch of the (h) Approved Intermediary, (i) any other distinguishing mark of the certificate e.g. bar code etc as may be approved by the Government in writing, (j) space for signature and seal of the issuing officer/ authorised signatory of the Approved Intermediary. (2) The software to be used by the Central Recordkeeping Agency must also provide for-(a) facility to the Sub-Registrar to lock the e-stamp certificate used in an instrument which has been accepted for registration by him, facility to cancel spoiled, unused or not required for use e-(b) stamp certificate, necessary passwords and codes to be used by the (c) designated officials of the department to search, access and view any e-stamp certificate and to access Management Information System and the Decision Support System. The Central Record-keeping Agency shall provide these passwords and codes to the concerned officials of the department as directed by the Appointing Authority, (d) availability of details of the issued e-stamp certificate on the e-Stamping server maintained by the Central Recordkeeping Agency, Availability of the different transaction details and reports relating to e-stamping, as mentioned in rule 57, on the website of the Central Record-keeping Agency which will be accessible to the officers mentioned in clause (c) of sub-rule (2). PART- IV -Authorised Collection Centres Appointment of 12. The Central Record-keeping Agency may appoint agent(s), Authorised herein called Authorised Collection Centers, with prior approval of Collection the Government, to act as an intermediary between the Central Center Record-keeping Agency and the Stamp duty payer for collection of Stamp duty. Eligibility 13. Any scheduled bank, any financial institution or undertaking criteria for controlled by the Central Government or the Government, or the appointment of Post Office or any agency will be eligible for appointment as

Authorised Collection Centre or any agency authorised by CRA in

consultant with the state Govt. subject to prior approval of the

Authorised

Collection

Centre	appointing authority under rule 12.			
	14. All the offices/ branches of the Central Record-keeping Agency			
Branches of	or any agency of CRA in specified places of the State, as			
Central Record-				
	declared by Appointing Authority from time to time, will also be			
keeping Agency	entitled to collect the payment of Stamp duty from the Stamp duty			
also to collect	payer, for which separate approval from the Government under rule			
Stamp duty	12 will not be required.			
Infrastructure	15. All such Approved Intermediaries shall be equipped with the			
~~~~	required computers, printers, internet connectivity and other related			
	infrastructure which is necessary to implement the e-stamping			
	system as specified by the Central Record-keeping Agency from			
	time to time.			
Cost of				
Infrastructure	16. The cost of providing equipment and infrastructure referred to in			
State to provide	rule 15 will be borne by the concerned Approved Intermediaries.			
_	17. The Government will make available necessary hardware and infrastructure at the office of the Jacobston Consult of Province to			
necessary hardware and	infrastructure at the office of the Inspector General of Registration			
infrastructure in	Uttarakhand Dehradun at Offices of Sub-Registrars and District			
the offices of the	Registrars, Deputy Inspector General Registration, Assistant			
department	Inspector General Registration and such other offices, which would include a Personal Computer printer has a decreased internal			
department	include a Personal Computer, printer, bar code scanner, internet			
	connection, etc as specified by the Central Record-keeping Agency			
Termination of	from time to time.			
	18. The appointing authority may at any time, for reasons to be			
agency of	recorded in writing, advise the Central Record-keeping Agency to			
Authorised	terminate the agency of any Authorised Collection Centre and the			
Collection	Central Record-keeping Agency will be bound to follow such			
Centre	advice.			
Minimum Value	19. The e-stamp certificates may be issued for any denomination.			
limit of e-stamp				
certificate				
	V- Remittance of the Stamp duty to Government Account			
Central Record-	20. (1) The Central Record-keeping Agency shall be responsible to			
keeping Agency	remit the consolidated amount of Stamp duty collected by its			
to Remit the	offices/ branches and by its Authorised Collection Centers, less the			
Stamp duty, less	amount of discount as decided in the Agreement, within two			
discount/Commi	working days after the day of collection of Stamp duty or within			
ssion to	such period as may be mutually agreed to in Agreement, in "0030			
Government	Stamp and Registration Fees – 02 Stamp Non – Judicial" treasury			
account on next	head account of the State.			
working day	(2) The method of remittance of the amount of Stamp duty by the			
	Central Record-keeping Agency to "0030 Stamp and Registration			
	Fees – 02 Stamp Non – Judicial" treasury head account of the State			
	will be through electronic clearing system, challan or otherwise as			
	may be directed in writing by the appointing authority from time to			
•	time.			
	(2) T1			
	(3) The remittances referred in sub-rule (1) will be made in the			
1				

D.	Government Business Branch (es) of the State Bank of India/Agency Banker in the prescribed format as decided by the appointing authority in hard and soft copy under intimation to the concerned Treasury Officer.  (4) For the purpose of sub rule (1), the 'day of collection of stamp duty' shall mean the 'day on which the amount of stamp duty has been received or credited into the account of the Central Record – keeping Agency.				
Application for	ART- VI- Procedure for Issue of e-stamp certificate				
e-stamp	21. The person desiring to pay Stamp duty will approach any of the				
certificate	Approved Intermediaries; provide the requisite details in Form-3				
	along with the payment of Stamp duty amount, for getting the estamp certificate.				
Mode of	22. The payment of amount of stamp duty may be made by means of				
payment of	cash, cheque, bank draft, Electronic Clearing System, Real Time				
Stamp duty	Gross Settlement or any other mode of transferring funds as directed				
	by the Appointing Authority.				
Issue of e-stamp	23. (1) The Authorised official of the Approved Intermediary will,				
certificate	on confirmation of the payment made under rule 21, enter the				
	requisite information and details as provided by the applicant in the				
	application in Form- 3 in his computer system, get the correctness				
	of such entered details verified by the applicant, take his signature				
	on the preview of the e-stamp certificate as proof of verification,				
	download the e-stamp certificat.				
	(2) The ink to be used in the e-stamp certificate printer must be non-				
	washable permanent black.				
Payment by	24. If the payment of Stamp duty has been made by any means other				
cheques and	than cash and Real Time Gross Settlement, the e-stamp certificate				
drafts subject to	will be issued only after the amount has been credited and realized				
clearance	in the account of the Approved Intermediary.				
	7				

Signature and	25. (1) The signature and seal (showing name and designation of the				
seal on e-stamp	issuing officer and name and address of the branch of Approved				
certificate,	Intermediary) will be made in permanent blue – black ink.				
Size of paper	billion of the second of the s				
and only regular	(2) The e-stamp certificate shall be printed on 80 grams per square				
employee to	meter quality paper of A4 size.				
designated as	paper of the size.				
issuing officer					
	(3) The Approved Intermediary shall ensure that the person who has been given the duty to issue e-stamp certificate is regular full time employee having given adequate security to him and is having adequate length of service with him. Any person who is working as part time or trainee or who is working on contract basis or on commission basis must not be entrusted with the job.				
Details of e-	26. The details of the issued e-stamp certificate will be made				
stamp certificate	available on the e-Stamping Server maintained by the Central				
to be on website	Record-keeping Agency and shall be accessible to any person				
	authorised by the Appointing Authority in this behalf including the				
Sub Registrar holding a valid code or password which sha					
	provided by the Central Record-keeping Agency;				
Payment of	27. If for any reason, a person who has one e-stamp certificate of				
additional	certain denomination issued for an instrument, has to pay an				
Stamp duty	additional amount of Stamp duty on the same instrument, he may				
	make an application in prescribed Form-4 along with the payment				
	of such amount of additional Stamp duty to the Approved				
	Intermediary.				
Issue of e-stamp	28. (1) The Approved Intermediary shall issue e-stamp certificate				
certificate for	for such additional Stamp duty on separate sheet of paper in the				
additional	same way as laid down in rules 21 to 25.				
Stamp duty	(2) The party to an instrument may, at his discretion, use				
	impressed stamp(s) together with the e-stamp certificate to pay				
	stamp duty chargeable on such instrument under the Act. The use of				
	one type of stamp shall not exclude the use of other type of stamp in				
	same instrument.				
Use of e-stamp	29. (1) Every instrument stamped with an e-stamp certificate shall				
certificate- how	be written in the blank space below the impression of e-stamp				
to be written	certificate, so that the certificate may appear on the face of the				
instrument and the e-stamp certificate can not be used for or app					
	to any other instrument;				
	(2) Every instrument written in contravention of sub-rule (1) shall be				
The	deemed to be unstamped.				
	30. If one or more than one pages have been attached to the e-stamp				
distinguished	certificate to write or type the instrument, the distinguished unique				

number of the e-	identification number of the e-stamp certificate shall be written or
stamp certificate	typed at the top center of each of such attached pages of the
to be written on	instrument.
each page of the	
instrument	
Sub-Registrar to	31. (1) The Sub-Registrar, after making the enquiry envisaged by
verify the	The Registration Act, 1908 (Act no. xvi of 1908) and before
distinguishing	proceeding to act under section 52 of the said Act, will verify the
serial number	details of the e-stamp certificate used in the instrument by entering
	its distinguishing unique identification number and other details in
	his computer system by accessing the e-stamping website of the
	Central Record-keeping Agency by using the user code and pass
	word provided by the Central Record-keeping Agency, and compare
	the details of the certificate with the details displayed on the
	computer system.
	(2) The Sub-Registrar shall be responsible for non-disclosure of
	the user code and the password provided to him by the Central
	Record-keeping Agency. He will be held liable for any loss
	occurring to the Government due to misuse or unauthorized use of
	this user code or the password.
Sub-Registrar to	32. After verifying the details, the Sub-Registrar, by the use of his
lock the e-stamp	computer, shall compulsorily lock the distinguishing unique
certificate	identification number of the e-stamp certificate to prevent repeated
G.	use of such e-stamp certificate.
e- Stamp	33. An e-stamp certificate issued under these rules shall have the
certificate to	same effect as if the duty of an amount equal to the amount stated in
fulfill	the certificate has been paid in respect thereof and such payment has
requirements of	been indicated on such instrument, with which it is attached, by
section 13 Act	means of stamps in accordance with the requirements of section 13
Annwayad	of the Act.
Approved Intermediary	34. (1) The Approved Intermediary shall not refuse to issue e-
not to refuse e-	stamp certificate to any bonafide purchaser without sufficient reason
stamp certificate	so recorded in writing. Non compliance will be treated as violation
to bonafide	of terms and conditions of its appointment.
purchaser	(2) The e-stamp certificates may be issued for use in every
p and dates of	type of instrument to pay stamp duty, whether the registration of
	such instrument is compulsory or optional under sections 17 and 18
× 1	respectively of the Registration Act, 1908 (Act no. xvi of 1908).
7177 4	
E-stamping to	35. The Approved Intermediary shall, as far as possible, issue e-
be localized	stamp certificates with regard to only those instruments which are to
	be used or registered in the same district in which the issuing office /
	branch of the Approved Intermediary is located.
P	ART- VII -Cancellation and refund of e-stamps
	36. (1) The Collector may, on an application in Form-5
Procedure of	, approximation in terms

refund of spoiled/ unused/ not required for use e-stamp certificate accompanied with the original 'spoiled or misused or not required for use e-stamp certificate' if he is satisfied as to the facts, make allowance for such e-stamp certificate according to the provisions of sections 52 to 57 of the Act and the rules 218 to 242 contained in Chapter IV of the Uttar Pradesh Stamp Rules, 1942.

(2) However, after ensuring that the requirements of sections 52, 53 and/ or 55 are fulfilled and before proceeding to act under section 56 or 57 of Act, as the case may be, he shall send application referred to in sub-rule(1) along with the original e-stamp certificate in question to the Assistant Commissioner Stamps for verification of the genuineness of the e-stamp certificate and its cancellation.

37 The Assistant Commissioner of Stamps after verifing the genuiness of the e-stamp certificate will cancel the verified e-stamp certificate in the data base of the computer system, endorse the fact of cancellation on the e-stamp certificate with his signature and seal and forward the same to the Collector for further proceedings under section 56 or 57 of the Act, as the case may be.

The Assistant Commissioner of Stamps to cancel and the Collector to act under section 56, 57 of the Act

- **38.** (1) The Collector on receiving the verified and cancelled estamp certificate will take necessary action as required by section 56 or 57 of the Act, as the case may be.
- (2) The Assistant Commissioner of Stamps shall maintain a record of cancelled e-stamp certificates in his office and send the details of the same to the Commissioner of Stamps, the Collector, the Treasury Officer of the district and the Sub-Registrars of the district in the first week of every month.
- (3) The refund, if any, under sub-rule (1) shall be made by the Collector only by means of Account payee cheque or bank draft drawn in favour of the same person in whose name the e-stamp certificate was issued.

PART-VIII- Inspection, audit and appraisal of the performance of the system

Who may inspect the Approved Intermediaries prescribed in the Schedule of Inspections

- 39. (1) The Collector, the Additional District Magistrate (Finance and Revenue), any designated officer of the department or any private or public sector technical cum audit expert/ agency duly authorised by the Appointing Authority in this behalf, shall inspect Approved Intermediaries located within its jurisdiction in accordance with the provisions of the Schedule of Inspections mentioned in Annexure-1, in the State on any working day during working hours.
- (2) The Commissioner of Stamps may, however, at any time on receipt of a complaint or *suo motu*, direct any official of the department to inspect any branch or office of the Central Record-keeping Agency or Authorised Collection Centres and to submit report, besides the regular inspections mentioned in sub-rule (1).
- (3) The Accountant General Uttarakhand, Dehradun may also make annual technical audit of the receipts and remittances made by the Central Record-keeping Agency.

Schodelatata	40 411					
Schedule to be	40. All or any of the branches/ offices of the Central Record-keeping					
followed for	Agency and Authorised Collection Centres in the State will be					
making	inspected and audited, as far as possible, according to the Schedule					
Inspections and	of Inspections referred to in sub-rule (1) of rule 39.					
audit						
Central	41. During such inspection, the inspecting officer or the expert/					
Record-keeping	agency may require the Officer in-charge of the inspected					
Agency /	branch/office to provide any information on soft and/or hard copy of					
Authorised	any electronic or digital record related to the collection and					
Collection	remittance of Stamp duty relating to any time period and the					
Centre bound to	concerned Central Record-keeping Agency or Authorised Collection					
provide	Centre will be bound to provide such information on priority basis.					
information	busis.					
Submission of	42. The inspecting officer shall within one week and the technical					
Inspection	cum audit expert/ agency shall within two weeks, from the date of					
report	inspection, submit his inspection report mentioning the observations					
	regarding omissions, violations, delays or irregularities (if any),					
	suggestions and recommendations etc. to the Commissioner of Stamps Uttarakhand, Dehradun.					
Commissioner						
of Stamps to	43. The Commissioner of Stamps on receipt of inspection report					
	will, within one week, take appropriate action in the matter and may					
take appropriate	make recommendation to the appointing authority including					
action	imposition of penalty and / or termination of appointment of Central					
	Record-keeping Agency or the Authorised Collection Centre (if so					
	warranted by the circumstances).					
	If however, the Commissioner of Stamps is also authorised by the					
	Government to function as Appointing Authority, he will take					
	appropriate action in that capacity under following rule 44.					
Appointing	44. The appointing authority may, after giving a reasonable					
Authority to	opportunity of hearing to the Central Record-keeping Agency, take					
take appropriate	any appropriate action as it deems fit on the basis of the inspection/					
action	technical audit report and the recommendations of the					
	Commissioner of Stamps.					
	PART-IX -Penalty for omissions and violations					
Interest for	45. In case the Central Record-keeping Agency fails to remit the					
delay in	amount of Stamp duty within the period as stipulated in rule 20, the					
remittance to	Central Record-keeping Agency shall be liable to pay, along with					
Government	the collected amount of Stamp duty, an interest calculated at the rate					
account	of 10 percent for the first seven days and their after at the rate of 13					
	percent. Any part of a day will be treated as one day for the purpose					
	of such calculation.					
Dispute	46. (1) In case of any dispute regarding the reason of delay in					
regarding delay	remitting the stamp duty and the consequent liability to pay interest					
in remittance	under rule 45, the Central Record-keeping Agency shall be given a					
	reasonable opportunity of hearing on the point of reasons of delay;					
	and					
	(2) If the Appointing Authority is satisfied that the delay in					
	remittance was caused due to reason(s) beyond the control of the					
	remittation was caused and to reason(s) beyond the control of the					

	Central Record-keeping Agency, he may waive off the interest stipulated in rule 45 either completely or partially at his discretion.  (3) Any decision of the Appointing Authority under sub-rule (2) shall be final.
Central Record- keeping Agency responsible to compensate the Government and penalty	47. (1) If any act, omission, irregularity or violation on the part of the Central Record-keeping Agency or any of its Authorised Collection Centers has resulted in loss of revenue to the Government, the Central Record-keeping Agency shall be responsible to compensate such amount of loss of revenue along with an interest calculated as stipulated in rule 45 and a penalty of an amount not exceeding two times the amount of loss of revenue to the Government;  (2) The Central Record-keeping Agency will, however, be given an opportunity of hearing before taking decision under sub rule (1).
Amount due and the penalty recoverable as arrears of land revenue	amount due to the Government and the penalty imposed by the Appointing Authority under rules 45 or 47, it shall be liable to be recovered as arrears of land revenue.
Government not liable for any loss or damage to the Central Record-keeping Agency or its Authorised Collection Centers	49. The Government or the Appointing Authority or any officer of the department shall not be responsible for any loss or damage caused to the Central Record-keeping Agency or any of its Authorised Collection Centers on account of misuse or mishandling of the hardware and software including any act or omission on his part or of any third party and any defect in or malfunctioning of the network or for any damage caused to them by whatever reason.
	PART-X -Arbitration
Arbitration arrangement  Venue of Arbitration	50. All disputes and differences between the parties to the Agreement shall as far as possible, be settled amicably and failing that all such disputes shall be referred to a mutually agreed arbitrator under the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act,1996 (Act no. 26 of 1996).  51. The venue of arbitration shall be at Dehradun.
AIDILIALIOII	
Grievance redressal officers	52. (1) The Commissioner of Stamps Uttarakhand, Dehradun will designate one or more officers of the department, called 'Grievance Redressal Officers' to look and enquire into the complaints received against the misconduct or irregularities of the Central Record-keeping Agency or its Authorised Collection Centers or of any other official related with the implementation of these rules;  (2) The Grievance Redressal Officers will be allocated specified districts for entertaining the complaints recieved under sub rule (1).
Complaint to	53. Any Stamp duty payer who has any grievance against the

Grievance	services of the Central Record-keeping Agency or any of its					
Redressal	Authorised Collection Centre or any other official related with					
Officer	implementation of these rules may make a complaint to the					
	concerned Grievance Redressal officer along with documentary or					
	other evidences to support the cause of the complaint.					
Opportunity of	54 (1) The Crispone Polymer 1 Occ					
hearing by	54. (1) The Grievance Redressal Officer on receiving the complaint					
Enquiry Officer	will immediately bring the complaint to the notice of the Appointing					
Enquiry Officer	Authority;					
	(2) The Appointing Authority may order the Grievance					
	Redressal Officer or any other officer (to be called Enquiry Officer)					
	to enquire into the complaint;					
	(3) The Enquiry Officer will give a reasonable opportunity of					
	hearing to the complainant and to the Central Record-keeping					
	Agency / concerned official and will examine the evidence (if any)					
	produced by them.					
<b>Enquiry report</b>	55. After making the enquiry, the Enquiry officer will submit its					
	enquiry report to the Appointing Authority.					
Appointing	56. On the basis of the enquiry report, the Appointing Authority					
Authority to	shall take appropriate action under these rules against the Central					
take action on	Record-keeping Agency or will make suitable recommendation to					
enquiry reports	the employer of the concerned official of the department of the					
onquiry reports	the employer of the concerned official of the department for taking					
	action under relevant service rules, as the case may be.					
PADT VIII	Managament Informatic Cod VIII : C					
Central Record-	Management Information System)/ Decision Support System					
keeping Agency	57. (1) The Central Record-keeping Agency shall be responsible to					
to furnish	furnish following information reports to the Commissioner of					
Management	Stamps and to any or all such other officers as he may direct;					
Information	(2) The Central Record-keeping Agency shall provide login id to					
	the Commissioner of Stamps and to any or all such other officers as					
System and	he may direct in this regard, for online access to the required					
Decision	information reports in the e-stamping system					
Support System						
reports to the						
department						
	(i) Audit trail report - Tracking of all system based actions					
	performed by users of collecting branches/ offices of the Central					
	Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers					
	pertaining to any specified day or period.					
	(ii) Government payable reports: Authorised Collection Centre-					
	wise (including collecting branches of the Central Record-keeping					
	Agency) total collection report of any specified day or period.					
	(iii) Additional Stamp duty certificate reports: For all or any of					
	the collecting branches/ offices of the Central Record-keeping					
	Agency and Authorised Collection Centers pertaining to any					
	specified day or period.					
	(iv) Locked e-stamp certificate report – Relating to all or any of					
	the Sub-Registrars pertaining to any specified day or period.					
	(v) Remittance reports - A district- wise detail of the remittances					

	made by the Central Record-keeping Agency into the Government
	account pertaining to any specified day or period.
	(vi) Report of cancelled e-stamp certificates pertaining to any
	specified day or period relating to any particular or all the Assistant
	Commissioner(s) of Stamps [refer to sub rule (2) of rule 38.
	(vii) Certificate Generation Report - Reports of e-stamp
	certificates generated for any / all collecting branches/ offices of the
	Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection
	Centers
	pertaining to any specified day or period.
	(viii) Yearly Stamp Duty Collection Report- Yearly report of
	stamp duty collected by any/ all of the collecting branches/ offices
	of the Central Record-keeping Agency and the Authorised
	Collection Centers.
	(ix) Stamp Duty Type Collection Report- showing category of
	instrument- wise monthly stamp duty collections of any calendar
	year for any / all collecting branches/ offices of the Central Record-
	keeping Agency and the Authorised Collection Centers.
	(x) Stamp Fees - Report by Account- Stamp duty monthly
	collection report of any calendar year for any/ all of the collecting
	branches/ offices of the Central Record-keeping Agency and the
/	Authorised Collection Centers.
	(xi) Any other report or information as may be required by the
	Commissioner of Stamps from time to time.
	PART-XIII -Role of Treasury Department
Treasury to	58. The treasury officer will verify from the account scroll received
verify daily	from the Government Business Branch of State Bank of India the
remittances	details of the daily remittances of Stamp duty made by the Central
	Record-keeping Agency into the Government account referred to in
	rule 20, and will send a verified hard copy of the details of daily
	remittances to the Commissioner of Stamps.
	or Sample
	PART-XIV- Delegation of powers
Appointing	59. The Appointing Authority by making an order in writing, may
Authority may	delegate all or any of their powers and / or functions to any
delegate all or	officer(s) of the Department
any of its powers	
Power to amend	60. (1) The Government may amend these rules by notification in
the rules	the Gazette, or
	(2) The Commissioner of Stamps may amend these rules with prior
	approval of the Government.
Savings and	61. In case of any contradiction between these rules and- any of the
Repeals	provisions of the Indian Stamp Act 1899 (Act no. 2 of 1899),
	or The Registration Act, 1908 (Act no. XVI of 1908) or the rules
	made under these Acts, as the case may be, the provisions of these
	Acts and the rules made under these Acts, shall prevail.

#### **Appendix**

#### (A) Forms under these Rules -

- 1. Form-1 Agreement with Central Record-keeping Agency see rule 6 (1)
- 2. Form-2- Indemnity Bond by Central Record-keeping Agency see rule 6 (2)
- 3. Form 3- Application for e-stamp certificate- see rule 21
- 4. Form 4- Application for additional Stamp duty- see rule 27
- 5. Form 5- Application for refund of Stamp duty see rule 36

(B) Annexures -

Annexure 1- Schedule of inspections and audit - see rule 39

(ALOK KUMAR JAIN) PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.

## Form-1 (See Rule 6(1))

### AGREEMENT

	MORDIN	LEIVE	
	THIS AGREEMENT is entered on this _	day of	200
	BETWE		
Gov	ernor of Uttarkhand represented by the Pri	incipal Secretary Fir	nance, Government of
	rkhand having office at Secretariat, Dehrad		
	State" or as the "Government" as the case		
	AND		
(	name of the Central Record kee	ping Agency	) . having their
Regi	stered office at		and branch office at
	through Shri		
"Cen	tral Record-keeping Agency" which exp	ression shall includ	e its successors and
	ns, representatives) of the Other Part.		
"The	State" or "The Government" and "Centra	al Record-keeping A	Agency" are together
referr	red to as "the Parties" and either of them as	"the Party".	
	WHEREAS, after due bidding process	(name of the Co	ompany) was
select	ted to act as Central Record-keeping Age		
	nistration system; and to devise a mechani		
Stamp	o duty in a letter F.No. 16/1/20040CY. Date	ed 28 th December 20	05 of Govt. of India.
	AND WHEREAS the Government of In	ndia Ministry of Fin	ance, Department of
Econo	omic affairs in the said letter also authorize	d the Central Record	d-keeping Agency to
under	take various services in States against a pa	ayment of 0.65% of	f the value of Stamp
duty c	collected through e-stamping mechanism;		
	AND WHEREAS pursuant to the said	notification, (nar	me of the Company
)	has approached the Government for impl	lementing the e-stan	nping mechanism in
the Sta	ate.		
	AND WHEREAS the State has approved	and authorised (	name of the Central
Record	d-keeping Agency Company /) to b		
vide	Government intimation dated		for the proposed
COMF	PUTERISED STAMP DUTY ADMINIST	RATION SYSTEM	in the State on the
erms a	and conditions specified in this Agreement.		

AND WHEREAS (....name of the Central Record-keeping Agency Company .....) will develop a system which will permit the payment of Stamp duty by the client / ultimate user either on its own through Internet or, with prior approval of the State, through Approved Intermediaries hereinafter called Authorised Collection Centers.

## NOW IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:

- 1. Appointment of (... name of the Company....) as Central Record-keeping Agency:1.1 The State hereby appoints (....name of the Company....) as its exclusive authorized Central Record-keeping Agency to undertake the following activities:
  - (i) Creating need based infrastructure, hardware and software and connectivity for facilitating its operations on the e-stamping project.
  - (ii) To facilitate selection of Approved Intermediaries for the e-stamping and collection of Stamp duty.
  - (iii) To act as a Co-ordinator between the office of the Inspector General of Registration / Commissioner of Stamps, Uttorakhand Offices of the Deputy Inspector General Registration, Assistant Inspector General, Sub-Registrars and District Registrars and Approved Intermediaries.
  - (iv) Collection of money and generation of E-Stamp Certificates through the computer systems.
- (v) Effecting remittances of the collected amount of Stamp duty to the State after reconciliation of Accounts.
- 1.2. The Parties may by mutual consent modify or withdraw any of the scope of appointment or effect any changes therein depending upon the public policy of the State and exigencies of business.

#### 2. TERRITORY

The territory covered under this Agreement will be the entire State or such lesser number of specified districts as may be notified by the Government.

- 3.1 Appointment of Approved Intermediaries i.e. Authorised Collection Centers: (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) shall appoint Approved Intermediaries on such terms as decided by (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) with prior approval of the Government.
- 3.2 Amongst the Approved Intermediaries, the Authorised Collection Centers could preferably be a scheduled bank, financial institution, chartered Accountant firm, professional, post office; Insurance Regulatory Development Authority recognized insurance company or any other person / institution as approved by the Government.

- 3.3 All the offices of (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) in the State on need base will also do the collection of Stamp duty for which no separate approval will be necessary from the Government.
- 3.4 All such Approved Intermediaries shall be equipped with the required computers, printers, internet connectivity and other regular infrastructure to implement the estamping system. The cost of providing such equipment will be borne by the concerned Approved Intermediaries.
- 3.5 All such Approved Intermediaries will access the main server through internet by using an identification number and a confidential password. This Unique Identification Number and Password will be allotted by (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ...). This password shall be kept confidential and the concerned Approved Intermediaries will be required to change it immediately after its allotment to maintain the confidentiality.
- 3.6 Approved Intermediaries will enter the requisite information and details in the system and download a Stamp Certificate with the

Distinguishing serial number which will be attached to the document. The details of the stamp certificate will be available on the e-Stamping Server.

3.7 In providing the services under this Agreement, the State in consultation with (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) may make rules or issue guidelines regarding the appointment & other terms and conditions for the Approved Intermediaries.

#### 4. FEES

4.1 For the above services to be provided by (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....), the (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) shall be entitled from the State a commission of 0.65% of the value of Stamp duty collected through e-stamping mechanism. (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) will deduct this commission towards fees from the Stamp duty collection prior to remitting the balance amount into the State Government account.

#### 5. MODE OF PAYMENT TO THE STATE GOVERNMENT

- 5.1 The proposed e-stamping system will allow both collection and transfer of Stamp duty paid.
- 5.2 The above remittances shall be affected only to the designated Account "0030 Stamp and Registration Fees- 02 Stamp Non-Judicial" of the Government through Real Time Gross Settlement, Electronic Clearing System, Challan, bank transfer or such other mode as may be decided in writing by the Parties from time to time.
- 5.3 (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) shall be responsible for payment to the Government for the amounts which are only collected towards the download of stamps either through the client or through the Approved Intermediaries. Such payment shall be made to the designated Account "0030 Stamp and Registration Fees- 02 Stamp Non-Judicial" of the Government not later then the closing of the next working day after the day of collection.

#### 6. PROPOSED SYSTEM

6.1 Detailed structure of the proposed system, including flow diagrams and salient features, schematic view of connectivity envisaged, systems and procedures to be

followed by end users and format of proof of payment / certificate to be issued to client/ultimate users will be given in the "Service Level Agreement". This "Service Level Agreement" shall be prepared in accordance with the provisions of these rules by the (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) and shall be submitted, prior to the execution of this Agreement, to the Government for its approval and acceptance.

6.2 The State will make available necessary Hardware and infrastructure at the office of the Inspector General of Registration / Commissioner of Stamps, Wharekhard Offices of Deputy Inspector General, Assistant Inspector General, Sub-Registrars and District Registrars or such other offices, which would include a printer, personal computer, bar code scanner, internet connection, etc as specified by (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....).

6.3 The Central Record-keeping Agency will have to use such software that the following minimum details are shown on the e-stamp certificate –

(1) distinguished serial number of the Certificate so that it is not repeated on any other certificate during the lifetime of the system,

(2) date and time of issue,

(3) amount of Stamp duty paid through the certificate in words and figures,

(4) name of the purchaser of the e-stamp,

- (5) names of the parties to the instrument,
- (6) description of the instrument on which the Stamp duty is intended to be paid,

(7) description of the property (if any), which is subject matter of the instrument,

- (8) code, location and district of the issuing branch of the Central Record-keeping Agency or Authorised Collection Centre,
- (9) any other distinguishing mark of the certificate e.g. bar code,

(10) space for sign and seal of the issuing officer,

(11) availability of facility to the sub-registrar to disable the repeat use of any e-stamp certificate,

(12) facility to cancel unused e-stamp certificate,

(13) provide passwords and codes to the designated officials of the department to search and view any e-stamp certificate and to access Management Information System and the Decision Support System,

(14) details of the issued e-stamp certificate will be made available on the e-Stamping Server maintained by the Central Record-keeping Agency,

(15) make available the different transaction details relating to e-stamping, as mentioned in rule 57, on the web.

#### 7. COMPATIBILITY WITH THE REGISTRATION SYSTEM

- 7.1 The Office of the Sub-Registrar and Inspector General of Registration/Commissioner of Stamps, Deputy Inspector General, Assistant Inspector General, Sub-Registrars and District Registrars and such other persons as the State may authorize, will have an access to the Central Server through internet. Proper internet connectivity will be set up by such offices.
- 7.2 The authorized officers (as mentioned in 7.1 above) of the State will have access to the e-stamping server through internet using user id & password issued by (... name

of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....). After login, such authorized officers will be able to view the e-stamp certificates by accessing the e-Stamping Server.

7.3 The offices of the Sub-Registrar or such other authorized officers, prior to registration of documents shall ensure that the prescribed amount of Stamp duty on the documents has been paid for the transaction to be registered prior to presentation of documents. The Sub-Registrar by logging into the e-stamping server through user Id & password shall lock the e-stamp certificate on the presentation of documents for registration.

#### 8. HARDWARE REQUIREMENTS:-

8.1 The use of e-Stamping Server will warrant the use of Pentium IV computer with requisite operating system and laser printers specified by (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) with proper internet connectivity by the user. The configuration of the computer systems, internet connectivity, laser printers, barcode readers or any other Hardware infrastructure should meet the specifications of (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) and which may be subject to change without any advance intimation.

#### 9. GENERAL OBLIGATIONS

9.1 All payments for stamp duties made and received from all clients and/or Approved Intermediaries shall be recorded on a day- to- day basis by (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) and in turn reported to the State in following and such other form as maybe determined in mutual consultation between the State and (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) -

(i) Audit trail report - tracking of all system based actions performed by users of collecting branches/ offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised

Collection Centers pertaining to any specified day or period.

(ii) Government payable reports: Authorised Collection Center-wise (including collecting branches of Central Record-keeping Agency) total collection report of any specified day or period.

(iii) Additional Stamp duty certificate reports: for all or any of the collecting branches/ offices of the Central Record-keeping Agency and Authorised Collection

Centers pertaining to any specified day or period.

(iv) Locked e-stamp certificate report - relating to all or any of the sub-registrars

pertaining to any specified day or period.

(v) Remittance reports - A district- wise detail of the remittances made by the Central Record-keeping Agency into the Government Account pertaining to any specified day or period.

(vi) Report of cancelled e-stamp certificates pertaining to any specified day or period relating to any particular or all the Assistant Commissioner(s) of Stamps [refer to sub

rule (2) of rule 38].

(vii) Certificate Generation Report – Reports of e-stamp certificates generated for any/ all collecting branches/ offices of the Central Record

-keeping Agency and the Authorised Collection Centers pertaining to any specified day or period.

- (viii) Yearly Stamp Duty Collection Report- Yearly report of stamp duty collected by any/ all of the collecting branches/ offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers.
- (ix) Stamp Duty Type Collection Report- showing category of instrument- wise monthly stamp duty collections of any calendar year for any/ all collecting branches/ offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers.
- (x) Stamp duty Report by Account-Stamp duty monthly collection report of any calendar year for any/ all of the collecting branches/ offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers.
- (xi) Any other report or information as may be required by the Commissioner of Stamps from time to time.
- 9.2 The State shall set up and provide tables that will enable the Approved Intermediaries or the client who is liable to pay Stamp duty to ascertain the exact amount of Stamp duty that is payable on a particular instrument. Further, the State will also provide the necessary information with respect to the amount of the Stamp duty to be paid for the documents pertaining to immovable properties on the basis of their details. Such information provided will be updated by the Government as per the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) and the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) the current rules and regulations and amendments carried out to them from time to time and a link from the Government's site to e-Stamping Server. Such information provided on e-Stamping Server will be for the guidance of clients/ users and (... name of the Company appointed)
- as Central Record-keeping Agency ....) will not be responsible for correctness of such information.
- 9.3 The State will be able to re-access the data through internet by using user id and password.
- 9.4 (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) shall enable State to extract the Management Information System and Decision Support System as provided in para 9.1 above from the data captured on the e-stamping server via internet.
- 9.5 The requirement of the Management Information System may be further crystallized and mutually agreed. The Government will provide any changes to the master lists to (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) for updation of the information in e-stamping system from time to time.
- 9.6 It will be the responsibility of the office of the Sub-Registrar / District Registrar and such other officers as the State shall decide to check about the authenticity of the estamp certificate and adequacy of the Stamp duty paid.

## 10. TRAINING OF THE PERSONNEL AT THE REGISTRAR'S OFFICES AND OF THE STATE

10.1 (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) shall provide suitable and adequate training, to such of the Government personnel as the Government may nominate, on a train-the-trainer mode, on the operation and the use of the system.

- 10.2 The training provided at the premises of the State by (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) will be free of cost for the first time to the candidates suggested by the State, which may be upto to 10 or such other mutually agreed greater number of officials.
- 10.3 (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ...) may assume that the trainees have the required skills and knowledge pre-requisites to follow the training on the Application.
- 10.4 The training for the system shall be conducted at the place be decided by the State. (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) shall provide one trainer to conduct the training over a maximum period of one (1) week. For the avoidance of doubt, the Government shall be responsible for arranging and providing all the necessary facilities (except for the first time as described in Para 10.2), equipment and premises required for conducting the training and the travel, accommodation and subsistence expenses for training.
- appointed as Central Record-keeping Agency ....) and the State, (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) shall provide additional training on any up-gradation, modification to the system. (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) may also provide refreshers courses to the various

  participants at the request of the State. It is reiterated that all training expenses shall be

participants at the request of the State. It is reiterated that all training expenses shall be borne by the State, except for the first time as mentioned in clause 10.4.

10.6 Any training to the Approved Intermediary or end user shall be charged separately to the Approved Intermediary by (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....).

#### 11. TERM

- 11.1 This Agreement shall be initially for a period of 5 years from the effective date referred below and thereafter it may be renewed in mutual consultation between the parties. The State will be at liberty to take over the operation of the e-stamping system after the initial period of 5 years if they so choose and / or may retain the services of (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) for a further period based on mutual agreement.
- 11.2 On the takeover of the operation of e-stamping by the State, (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) will be required to transfer the data generated during the period of appointment to the Government. After the termination of the appointment of the Central Record-keeping Agency, the later shall not in any way use or cause to be used the data generated during the period of appointment for its business or any purpose whatsoever.
- 11.3 (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) will not provide, transfer or share any Hardware, Software or any other

technical details with respect to the e-stamping project undertaken by it in the State to anybody, except the duly appointed Authorised Collection Centre, without written permission or authority of the State..

#### 12. EFFECTIVE DATE

This agreement shall be effective from the date of its signing by the parties or such other date as fixed by the State, hereinafter called the 'effective date'. The period of five years shall be calculated from the effective date.

#### 13. EXCLUSIVITY

The appointment of (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) as the Central Record-keeping Agency for the State shall be exclusive and State will not appoint any other Central Record-keeping Agency for e-stamping during the period of validity of this agreement.

## 14. CHANGE OF CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY

After the expiry of the initial or renewed term of appointment, the State will be at liberty to avail the services / facilities of e-stamping for part or whole of the State from any agency of its choice and the (... name of the Company appointed as Central Record-keeping Agency ....) shall have no objection to it.

#### 15. THE GOVERNMENTS RESONSIBILITY

The Government shall be responsible for providing on timely basis all information, decision making and approvals under its control and resources required at offices of Sub-Registrar which may be reasonably required from time to time for the performance of this agreement. The Government acknowledges that any delay by the Government to provide such information, decision-making and approvals may result in delays in implementing this agreement.

#### 16. ARBITRATION

17.1 All disputes and differences between the parties under this agreement shall as far as possible, be settled amicably and failing that all such disputes shall be referred to arbitration under the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Act no. 26 of 1996).

17.2 The venue of arbitration shall be at Dehradun.

IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed this Agreement on the day and year first hereinabove written.

SIGNED, SEALED AN	D DEI	LIVER	ED		]
By the Governor of the S	tate of			]	
through the				_]	
Both in the presence of	:			]	
(i) Signature			]		
Name,					
*P					

]

Official designation,	•	
Address		
(ii) Signature	.]	
Name,		
Official designation,	••••	
Address		
	1	
SIGNED, SEALED AND DELIV	ERED	1
by the withinnamed ( name of t		•
Company appointed as Central R		cv) by
Shri		]
its authorised official.	1	,
Both in the presence of :	1	
	1	
(i) Signature	1	
Name,		
Official designation,		
Address		
	1	
ii) Signature	1	
Name,		
Official designation,		
Address		
	]	

#### Form-2

#### (See Rule 6 (2))

(To be executed by the Central Record-keeping Agency on non-judicial stamp paper of Rs. 100)

Onde	itaning cuili ili	ucinitity E	ona	
This Indemnity Bond is mad	de and executed	at(	place) on this	day of
(month)	200		by	Sri
	S/O	************	********	R/O
	(of	ficial desig	gnation in the Cen	tral Record-
keeping Agency)				
for and on behalf of				
as Central Record-keeping				
(complete address	s of the	Central	Record-keeping	Agency)
	******		hereinafter referre	ed to as the
Central Record keeping Agency	(which express	ion shall u	iless repugnant to	the context
or meaning thereof shall mean a	nd include their	representat	ives, assigns, heirs	,etc.).
In favour of				
the Governor of Uttarkhand act Dehradun hereinafter referred to unless repugnant to the context	as the Appoin	ting Author	ority) (which expre	ession shall

text or meaning thereof shall mean and include Government of Uttarakhand and its duly authorised representative).

#### Whereas

- 1. the (.....name of the company appointed as Central Record-keeping Agency.....) has been appointed by the State to act as "Central Record keeping Agency" and has thus been authorised by the Government for computerization of Stamp duty Administration System in the State to issue e-stamp certificates to denote the payment of non-judicial Stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) by the public to the Government through its branches/ offices and the Authorised Collection Centers located in the State,
- 2. and the Central Record-keeping Agency has agreed to fulfill all the conditions as required by the law, and also to undertake and keep indemnified the Government against all or any losses suffered by the Government due to any mishandling, misconduct, negligence or any irregularity of any kind whatsoever caused by the Central Recordkeeping Agency or its Authorised Collection Centers,
- 3. and the Central Record-keeping Agency has agreed to the obedience and observance of terms and conditions that are prescribed in The Uttarakhand Stamp (Payment of Duty

by Means of E-Stamp Certificates) Rules, 2010 (hereinafter called 'the rules') and other orders issued by the Government or the Department under these rules,

4. the Central Record-keeping Agency to fulfill the aforesaid requirement and in order to undertake and indemnify the Government, is executing this presents as follows;-

## NOW THEREFORE THIS DEED OF UNDERTAKING CUM INDEMNITY BOND WITNESSETH AS FOLLOWS:-

- (a) the Central Record-keeping Agency hereby undertakes that the e-stamping centers (the branches / offices of the Central Record-keeping Agency and its duly appointed Authorised Collection Centers) shall be available for inspection at all reasonable times by any of the officials mentioned in rule 39 of the rules or any officer authorised by Commissioner of Stamps, Uttar Pradesh, Allahabad in this behalf without notice. The Central Record-keeping Agency also undertakes not to change or increase the Authorised Collection Centers without prior permission in writing of the Appointing Authority,
- (b) the Central Record-keeping Agency undertakes to provide on demand to any inspecting officer, as mentioned in clause (a), any information on soft and/or hard copy of any electronic or digital record related to the collection and remittance of Stamp duty relating to any time period or any other related information under rule 57 of the rules without unreasonable delay,
- (c) the Central Record-keeping Agency undertakes to abide by all the terms and conditions as may be prescribed by the Government/ Appointing Authority from time to time as to the implementation of the rules,
- (d) as provided in rule 20 of the rules, the Central Record-keeping Agency undertakes to remit the consolidated amount of Stamp duty collected by its offices/ branches and by its Authorised Collection Centers, less the amount of discount as decided in the Agreement, within two working day after the days of collection of Stamp duty to "0030 Stamp and Registration Fees 02 Stamp Non Judicial" treasury head account of the State,
- (e). as provided in rule 45 of the rules, the Central Record-keeping Agency undertakes that in case it fails to remit the amount of Stamp duty within the period as stipulated in rule 20 of the rules, the Central Record-keeping Agency shall be liable to pay, alongwith the collected amount of Stamp duty, an interest as per RBI Norms for the period of delay in day(s). Any part of a day will be treated as one day for the purpose of such calculation,
- (f) The Central Record-keeping Agency shall be responsible to furnish the information reports, as provided in rule 57 of the rules, to the Commissioner of Stamps and to any or all such other officers as he may direct,
- (g) the Central Record-keeping Agency undertakes that the any of its employees or the employees of its Authorised Collection Centers directly or indirectly will not misuse or cause to be misused the authorization to collect Stamp duty for the State by issue of estamp certificates,
- (h) the Central Record-keeping Agency hereby undertakes to keep the Government always indemnified against all or any of the losses or loss of any revenue to the Government or any third party risk arising out of any act, omission, violation, mishandling, misconduct, negligence or any irregularity of any kind whatsoever caused by the Central Record-keeping Agency or its Authorised Collection Centers as provided the party rule 47 of the rules.

IN WITNESS WHEREOF the Central Record-keeping Agency has executed the Undertaking cum Indemnity Bond on the day and year first hereinabove written.	nis ,
SIGNED, SEALED AND DELIVERED  By Sri	
as Authorised Signatory for and on behalf of  ( name of the	
Company appointed as Central Record-keeping Agency)  Both in the presence of : []  (i) Signature []	
Name,	
Official designation,	
Address	
(ii) Signature	
Name,	
Official designation,	
Address	

## Form-3 (See Rule 21)

E-STAMPING APPLICATION FORM

Authorised Collection Centre					orised ection re Id		
			,				
Application Date /2	200	(√ Tick ar Registrable		e) $\square$ Re	egistrabl	e	□ Non-
Document Description				Stamp dut Amount	•		
	Pı	roperty Des	erint	ion			
, ,				deration	of Rs.		Activities Activities As the Activities and an activities and activities activities activities activities and activities
	F	First Party	Detai	ls			
Name Address			,				
Phone				Pin Code			
	Se	cond Party	Deta				
Name		Y.					
Address							
Phone				Pin Code			
	Stamp	duty Payn	nent I	Details			
Stamp duty Purchased by	,		<del>.</del>				
Stamp duty Paid by	☐ 1 st Party	2 nd Part	y (1	Tick any or	ne)		
Stamp duty Amount		Type Payment			Cheque Draft	e	
Cheque/Demand Draft/Pay-order No.					Date:	/	/ 200
Bank Name The Information give				Branch Name			

The Information given in this form is to the best of my knowledge and is correct, complete and truly stated.

#### (For Office use only)

I Verify that the Application Form is in order

				USER						
SUBIN										
Signature										
			S	<b>UPERVI</b>	SOF	2				
Certificate	IN									
Number -										
G:										
Signature										
Stamp Certificate	Э	Name:						Signature	: ·	
received by										
<b>%</b>	• • • • • •				•••••	.×				
E CTAMBING			10					011		
E-STAMPING			K	eceipt			o be	e filled in	by the	client)
Stamp duty					- 1	Stamp		1 st Party		2 nd
Purchased						duty	Pa	rty		
by						Paid by				
Stamp duty Amo	unt	Rs.		Type	of	☐ Cash		Cheque		
outing daily Tillio		iw.		Payment	OI			-		
				1 dylliont	☐ Demand Draft☐ Pay-Order					
Cheque/Demand							Tac	Date:	/	/ 200
Draft/Pay-order N	No.							2410.	,	, 200
Bank						Branch				
Name						Name				
Counter Signature	e with	Seal								
Note:- Once the	Stam	n Certificate	a ha	c heen ge	nera	ted navm	ant	cannot he	0000	allad an

**Note:-** Once the Stamp Certificate has been generated, payment cannot be cancelled or refunded by Central Record-keeping Agency. For cancellation you need to get in touch with the Collector of the district at the Stamp Office appointed by the State Government.

# Form-4 (See Rule 27) REQUISITION FOR ADDITIONAL STAMP DUTY (TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS)

Registere	ed	Non- Regist	tered
		hich ever is applicable)	
Authorised Collection Centre Name	Authorised Collection Centre Code	Date and Time of application receipt	Base Certificate No.
SECT	ION A: DETAILS O	F DOCUMENT FOR ST	AMPING
Description of Document	Ba du	se Certificate Stamp ty Amount	Rs.
	An	Iditional Stamp duty	Rs.
	Ac By	Iditional Stamp duty paid	
SECTION B: D	STAMP	PROPERTY FOR WHIC DUTY IS PAID ered document)#	H ADDITIONAL
Address Line 1			
Address Line 2			
Address Line 3 Address Line 4		Di C i	
Consideration Price / Market Va (Which ever is higher) (Rs.)	lue	Pin Code  Date of Docum  (dd/mm/yy)	nent
Name (			
Address Line 1			
Address Line 2  Address Line 3			
PAN No. (Optional) Contact No.		Pin Code [	
Name (	i		
Address Line 1			
Address Line 3			
PAN No. (optional) Contact No.		Pin Coo	de ( )
P			

Address Line 2 Address Line 2			
PAN No. (optional)		Pin Code	
SECTION D.	DAVMENT DETAILS EOD AND	TOTAL SELS E COM A B STR	D. LIERY
	PAYMENT DETAILS FOR ADD	IIIONAL STAMP	DUTY
Mode of Payment	Amount Paid (Rs.)	Cheque /Demand Draft /Pay Order No. & Date	Name of the Bank Branch
☐ Cash ☐ Cheque* ☐ Demand ☐ Draft* ☐ Pay -Order*	Rs. (in figures)		
	on of the instrument.  Ten in this form in this form is to the lad truly stated.	pest of my knowledg	e and is
The information giv	en in this form in this form is to the lead truly stated.  / Representative impression of the	pest of my knowledg	e and is
The information give correct, complete and Name of the Party Signature / Thumb	en in this form in this form is to the lead truly stated.  / Representative impression of the	pest of my knowledg	e and is
The information give correct, complete and Name of the Party Signature / Thumb Party / Representa	en in this form in this form is to the lad truly stated.  / Representative impression of the tive  (For Office use only)		e and is
The information give correct, complete and Name of the Party Signature / Thumb Party / Representa   I verify that the App Name:	en in this form in this form is to the lad truly stated.  / Representative impression of the tive  (For Office use only)  clication Form is in order.  Checker	ed by	e and is
The information give correct, complete and Name of the Party Signature / Thumb Party / Representa  I verify that the App Name: Employee Code: Signature:	en in this form in this form is to the lad truly stated.  / Representative impression of the tive  (For Office use only)  clication Form is in order.  Checken Entered	ed by	e and is
The information give correct, complete and Name of the Party Signature / Thumb Party / Representa  I verify that the App Name: Employee Code:	en in this form in this form is to the lad truly stated.  / Representative impression of the tive  (For Office use only)  clication Form is in order.  Checke Entered Auther	ed by I by ticated by	e and is
The information give correct, complete and Name of the Party Signature / Thumb Party / Representa   I verify that the App Name: Employee Code: Signature: Date:	en in this form in this form is to the lead truly stated.  / Representative impression of the tive  (For Office use only)  clication Form is in order.  Checked Entered Author	ed by I by ticated by	e and is
The information give correct, complete and Name of the Party Signature / Thumb Party / Representa  I verify that the App Name: Employee Code: Signature: Date:	en in this form in this form is to the lead truly stated.  / Representative impression of the tive  (For Office use only)  clication Form is in order.  Checke Entered Author	ed by I by ticated by SUBIN	e and is
The information give correct, complete and Name of the Party Signature / Thumb Party / Representa  I verify that the App Name: Employee Code: Signature: Date:	en in this form in this form is to the lead truly stated.  / Representative impression of the tive  (For Office use only)  clication Form is in order.  Checked Entered Author	ed by I by ticated by SUBIN	e and is

Received from:	Mode of	Stamp duty Amount Paid	Cheque	Counter
Mr./Ms/M/s	Payment	(Rs.)	/Demand	Signature,
			Draft /Pay	Date &
			Order	Stamp
			No.	
••••••	☐ Cash	Rs. (in figures)	Dated	
	☐ Cheque*	Rs. (in words)		
	☐ Demand		Bank	
	Draft*			
	□ Pay		Branch	
	Order*			



#### Form- 5 (See Rule 36 (1))

## Application for Cancellation and Refund of E-Stamp Certificate

Authorised Collection Centre				Authorised Collection Centre Id.	
Name				Centre Id.	
	Application date			/ / 20	0
	11ppireation date			/ / 20	U
	Details of	of the E-Stan	p Certific	ate presented f	or
Certificate	Number:	cancenat	on and ixe	erunu.	
IN					
Date of Iss	ue of the Certification	ate		1 / / /	200
		First I	Party Deta	ils	
Name					
Address					~
14					
Phone					
Name		Second	Party Deta	ails	
Address			,		
11441055		No.	,		
Phone					
		(Please tick t	the proper	cellation and Rooption)	efund
Firs	st Part	Second	Party		norised entative*
If +1	a Authorised D	on recent etir.	. ia ammlud	f f 1 1	
Name	ne Authorised R	chi escurativi	c is abbian	ng for retund, r	us detans ^:
Address					
Phone					
te is repres	enting – (tick)	First p	party	Secon	nd party
n case ar	purchaser, this a	esentative is pplication mu	presenting st be accord	the refund appl npanied with au	ication on behalf thorisation from

purchaser executed on a Rs. 10 non-judicial stamp paper, duly witnessed and attested by Notary Public.

#### **Stamp Duty Payment Details**

Non Judicial e-Stamp Certificate Purchased by	First Party	Seco	ond Party		
Stamp duty Amount	Rs.	Mode of Payment -	Cash/ Cheque/ Demand Draft./ Pay order/ Electronic Clearing System / Real Time Gross Settlement		
Cheque/ Demand Draft./ Pay order No.			Date: / /200		
Bank Name		Branch Name			

The information given in this application is correct, complete and truly stated

Signature of the purchaser of the certificate / Sign. Of the Applicant

## Report of the Issuing/ Designated Officer of the CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY/ AUTHORISED COLLECTION CENTER

The details of the e-stamp certificate have been verified from the records of the Central Record – keeping Agency / Authorised Collection Centre. The said certificate has not been disabled in the data base of e-stamp certificate. This certificate of verification has been endorsed on the said certificate also. Refund of the amount of Stamp duty mentioned in the certificate is recommended.

Sign. & Seal of the Issuing/ Designated Officer of the Central Record-keeping Agency / Authorised Collection Centers Report of the Assistant Commissioner of Stamps

Verified and cancelled the e-stamp certificate in the data base of the e-stamp certificates.

Sign. & Seal of the Assistant Commissioner of Stamps

For use of the Office of the Collector Report of the Stamp Clerk:

Order of the Collector regarding refund:

Sign. & Seal of the Collector

#### Annexure-1

# SCHEDULE OF INSPECTIONS AND AUDIT OF THE CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY AND THE AUTHORISED COLLECTION CENTERS

(See Rule 39)

Sl.	Name of the authority/agency	Jurisdiction	Frequency of inspection	Points of inspection	Whom to submit the report
1	Collector	within district	Annual	General working, public complaints	The Commissioner of Stamps Uttarakhand at Dehradun
2	Additional District Magistrate (Finance and Revenue)	within the district	Half Yearly	Reconcile the remittance reports of the treasury with the reports of Central Record-keeping Agency	The Commissioner of Stamps Uttarakhand at Dehradun
3	Deputy Commissioner of Stamps	within registration zone	Quarterly	Verify the collections made by Central Record-keeping Agency and the remittance reports of the treasury with that of the Central Record-keeping Agency of each district in the zone	The Commissioner of Stamps Uttarakhand at Dehradun
4	Assistant Commissioner of Stamps	within the district	Monthly	Compare the stamp income figures (from e-stamps) of the Sub Registrar offices with the remittance figures of the Central Record-keeping Agency as received from the treasury of the district	of Stamps Uttarakhand at Dehradun
5	Technical cum Financial Expert / Agency	Whole State	Quarterly	(i) Verify the overall collections made by the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers	Uttarakhand at

					with the remittances made by Central Record-keeping Agency to the Government account; (ii) Technical Working and fairness of accounting of the estamping system	
6	Accountant General Pradesh, Allahabad	Uttar	Whole State	Annual	_	General Uttarakhand at

